

प्रवेशांक 2025



सत्यमेव जयते

सशक्त भारत

देश के विकास की गौरव गाथा



हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2024 में रक्षा मंत्रालय का स्टॉल



सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्रालय के स्टॉल पर भारतीय सेनाओं से संबंधित उपस्करों के विभिन्न मॉडलों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हुए



सम्मेलन में सम्मिलित रक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारी

सशक्त भारत पत्रिका: एक सशक्त विचार

आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों का भव्य उत्सव था जिसके परिणामस्वरूप आजादी की 75वीं वर्षगांठ को 'अमृतकाल' के तौर पर मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक की अवधि को 'अमृतकाल' की संज्ञा दी है। इस प्रकार, इस अभूतपूर्व समयावधि में 'पंच प्रण' के आह्वान को व्यावहारिक रूप से धरातल पर उतारने के संकल्पों के साथ संपूर्ण केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है। अमृतकाल में पंच प्रण के बिंदु हैं: विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन। इसी कड़ी में 'गुलामी की हर सोच से मुक्ति' की दिशा में एक अहम क्षेत्र है: भाषा। वर्तमान केंद्र सरकार ने भारतेंदु के उद्घोष, 'निज भाषा उन्नति अहै..' को ही मूल मंत्र माना है।

इस 'पंच प्रण' के संकल्प को पूरा करने के लिए, गुलामी की हर सोच से मुक्ति की ओर सही अर्थों में कदम बढ़ाने के लिए हम सबको अपनी राजभाषा हिंदी को खुले मन से अपनाने और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। इसी विचार को साकार रूप प्रदान करने के प्रयास में रक्षा मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा 'सशक्त भारत' पत्रिका को मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को समर्पित किया जा रहा है। आशा है कि इसके आगामी अंकों को भी इसी तरह आप सबकी कृतियों के माध्यम से भरपूर समर्थन प्राप्त होता रहेगा क्योंकि राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार भी भारत की 'सशक्तता' एवं 'आत्मनिर्भरता' का एक अभिन्न अंग है।



सशक्त भारत पत्रिका संपादकीय मंडल


क्रम. सं.	नाम	पदनाम	पद
1.	सुश्री दिप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव	मुख्य संरक्षक
2.	श्री मनीष त्रिपाठी	संयुक्त सचिव	संरक्षक
3.	सुश्री दिपाली प्र. चव्हाण	निदेशक	संपादक
4.	श्री काले खान	सहायक निदेशक	सदस्य
5.	श्री बृजेश कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य
6.	श्री दीपक कुमार तिवारी	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य
7.	सुश्री अनु भटनागर	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य
8.	श्री शिखर सिंह सारंग	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य
9.	सुश्री सोनी	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य
10.	सुश्री मीना शर्मा	वैयक्तिक सहायक	सदस्य

इस मंत्रालय की गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं। संपादकीय मंडल का इन विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है।

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH



रक्षा मंत्री
भारत
DEFENCE MINISTER
INDIA



संदेश


रक्षा मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिंदी पत्रिका 'सशक्त भारत' के प्रथम अंक के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

भाषा किसी भी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण धरोहर होती है। अतः उसका संरक्षण व विकास करना सबका कर्तव्य होता है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा की व्यापकता को देखते हुए इसके प्रसार हेतु भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को 'राजभाषा' का गौरव प्रदान किया था। हिंदी को सिर्फ संवाद के माध्यम के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए अपितु हिंदी देश के आम जनमानस में साहित्य, दर्शन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सरकारी योजनाओं के प्रति रुचि जगाने का भी एक माध्यम है।

'सशक्त भारत' पत्रिका न सिर्फ हिंदी के महत्व को रेखांकित करेगी बल्कि यह रक्षा मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य हिंदी के महत्व की स्वीकार्यता बढ़ाने व उनके दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मैं इस पत्रिका के संपादकीय मंडल एवं पत्रिका में चयनित रचनाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका रक्षा मंत्रालय में हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को और भी मजबूत करेगी।

'जय हिन्द'


(राजनाथ सिंह)

Office: Room No. 104, Ministry of Defence, South Block, New Delhi-110011
Tel. : +91 11 23012286, +91 11 23019030, Fax : +91 23015403
E-mail: mo@mod.nic.in

संजय सेठ
SANJAY SETH



रक्षा राज्य मंत्री
भारत सरकार
Minister of State for
Defence
Government of India



संदेश


मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि रक्षा मंत्रालय की विभागीय पत्रिका 'सशक्त भारत' के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है।

राजभाषा हिंदी हमारी संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और पत्रिकाएं अधिकारियों और कर्मचारियों की मौलिक लेखन प्रतिभा का दर्पण होती हैं। वस्तुतः मौलिक लेखन से हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ाने के साथ ही संवैधानिक दायित्व का निर्वाह भी होता है। हमें सरकारी कामकाज में सरल और व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है। अतः हिंदी के राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करें।

यह एक सराहनीय प्रयास है कि भावों की अभिव्यक्ति के इस माध्यम को निरंतर बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्रिका के प्रकाशन से रक्षा मंत्रालय में राजभाषा के प्रचार-प्रसार को निश्चित रूप से नए आयाम मिलेंगे तथा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में सरकारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित हो सकेगा।

मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ इस पत्रिका के भविष्य में उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को पत्रिका का यह अंक पसंद आएगा।

शुभकामनाओं सहित,


(संजय सेठ)

Office : 114-A South Block, New Delhi-110011, Tel. : 011-23794621, Fax : 011-23016255,
E-mail : mos-defence@gov.in
Resi. : 14-E, Fezoshah Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23310353

राजेश कुमार सिंह, भा. प्र. से.
रक्षा सचिव
RAJESH KUMAR SINGH, I.A.S.
Defence Secretary



भारत सरकार
रक्षा विभाग
रक्षा मंत्रालय
Government of India
Department of Defence
Ministry of Defence


संदेश

रक्षा मंत्रालय की विभागीय हिंदी पत्रिका 'सशक्त भारत' के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

मेरा मानना है कि हिंदी पत्रिका के प्रकाशन से न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा उजागर होगी, अपितु मंत्रालय में कार्यरत सभी कार्मिकों में सरकारी कामकाज हिंदी में करने के प्रति भी रूचि जागृत होगी। अंततः पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य भी यही है कि अधिकारीगण और कर्मचारीगण इससे प्रेरित होकर अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करें।

इतना तो स्पष्ट है कि रक्षा मंत्रालय अपने मूल दायित्वों को निभाने के साथ-साथ कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति विभाग की यह प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है।

पत्रिका के प्रकाशन को संभव बनाने के लिए मैं संपादक मंडल सहित सभी रचनाकारों को साधुवाद देता हूं और 'सशक्त भारत' पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।


राजेश कुमार सिंह
(रक्षा सचिव)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULIARYA, I.A.S.
Secretary



75
आजादी का
अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

Government of India
Department of Official Language
Ministry of Home Affairs



संदर्भ

मुझे यह जानकारी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में पत्रिकाओं के प्रकाशन का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका उस संगठन का मुख पत्र होती है। इसके द्वारा सभी कार्मिकों को संगठन की कार्य प्रणाली संबंधी जानकारियां तो प्राप्त होती ही हैं, साथ ही उन्हें अपनी लेखन-प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी प्राप्त होता है। 'सशक्त भारत' पत्रिका का प्रकाशन इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इस पत्रिका के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के कार्मिकों को हमारे सशक्त बलों के शौर्य, समर्पण और अनुशासन की गाथाओं की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन भी बेहतर होगा।

मैं पत्रिका 'सशक्त भारत' के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका अपने प्रयोजन में सफल होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

अंशुली आर्या
(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन: (91)(11)23438266, फैक्स: (91)(11)23438267, ई-मेल: sec-ol@nic.in

दिप्ति मोहिल चावला
अपर सचिव
Dipti Mohil Chawla
Additional Secretary



रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Defence
Government of India



संदेश

मुझे यह जानकार अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि रक्षा मंत्रालय, राजभाषा प्रभाग अपने राजभाषा संबंधी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही राजभाषा संबंधी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' के प्रथमांक को प्रकाशित करा रहा है।

विविधता में एकता ही हमारे देश का मूलभूत तत्व है और भाषायी दृष्टि से हिंदी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के सेतु का काम करती है। हिंदी के प्रयोग को कार्यालयी कामकाज में बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत-सी प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की हैं और इन्हीं सकारात्मक प्रयासों के चलते हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के सरलतम रूप को अपनाकर राजकीय कामकाज में अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजभाषा प्रभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इस पत्रिका से हमारे कार्मिकों में हिंदी भाषा में अधिकाधिक कार्य करने की एक नई ऊर्जा का संचार होगा।

अंततः मैं राजभाषा प्रभाग के इस बहु-प्रतीक्षित कार्य हेतु पत्रिका के प्रकाशन में संलग्न संपादक मंडल एवं लेखकों को हार्दिक बधाई देती हूं।

(दिप्ति मोहिल चावला)
अपर सचिव

संपादक की कलम से...



प्रिय पाठकों,

हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि रक्षा मंत्रालय की प्रथम हिंदी गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' का प्रकाशन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पत्रिका न केवल हमारे कार्यों, प्रयासों और उपलब्धियों का दस्तावेज है, बल्कि यह हिंदी भाषा के प्रति हमारे स्नेह और समर्पण का भी प्रतीक है। इस पत्रिका के प्रथम अंक के साथ, हम एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारे मंत्रालय की सांस्कृतिक और भाषायी धरोहर को सहेजने और इसे आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

रक्षा मंत्रालय में हिंदी का महत्व केवल एक भाषा के रूप में नहीं है, बल्कि हम इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं, जो हमारे समर्पित सैन्य कर्मियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवाद और सहयोग को और भी सशक्त बनाती है। यह पत्रिका इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य हमारे सभी विभागों के बीच हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित करना है।

प्रथम अंक के रूप में, यह पत्रिका हमारे भावी प्रयासों की नींव रखेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम इसे एक ऐसा मंच बनाएं, जहां हमारे मंत्रालय से जुड़े सभी कार्मिक अपने विचार, अनुभव और रचनात्मकता को हिंदी में अभिव्यक्त कर सकें। इसके माध्यम से हम न केवल अपने कार्यों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि हिंदी के प्रचार-प्रसार और इसकी समृद्धि के लिए भी अनवरत प्रयास करेंगे।

हम जानते हैं कि यह प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब इसमें आप सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो। इसलिए, हम आपके सुझावों, विचारों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं, ताकि हम इस पत्रिका को और भी प्रभावशाली और उपयोगी बना सकें। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में दिनांक 14-28 सितंबर, 2024 के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में संयुक्त सचिव तथा उनसे ऊपर स्तर के अधिकारियों के लिए भी हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विविध विषयों यथा विकसित भारत @2047, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का भारत के प्रशासनिक ढांचे में संभावित उपयोग, जीवन में खेलों का महत्व, यात्रा वृत्तांत इत्यादि पर प्राप्त रचनाओं को भी इस गृह पत्रिका में प्रेरणास्वरूप सम्मिलित किया गया है।

अंत में, मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप इस पत्रिका का अध्ययन करें, इसके संदेशों को आत्मसात करने का प्रयास करें और हिंदी के प्रचार-प्रसार के इस महत्वपूर्ण कार्य में भागीदार बनें। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे सशक्त बनाना हम सभी का परम कर्तव्य है।

आपके सहयोग की प्रतीक्षा में,



दिपाली प्र. चव्हाण
निदेशक, राजभाषा
रक्षा मंत्रालय

विषय-सूची

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार का नाम	पृष्ठ सं.
1.	विकसित भारत @2047	राजेश कुमार सिंह	11
2.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए. आई.)	मनीष त्रिपाठी	13
3.	विकसित भारत @2047: भारत की उन्नति की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल	अनिल कुमार छापोलिया	15
4.	फौजी का जीवन	बृजेश कुमार	17
5.	ध्वज पर तन अर्पण	कृष्ण कांत शुक्ला	18
6.	जीवन में खेलों का महत्व	अमिताभ रंजन सिन्हा	19
7.	सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य	आलोक निगम	20
8.	वीर अभिनंदन	लोकेन्द्र सिंह	22
9.	उसकी वर्दी कुछ कह रही	आदीश कुमार बंसल	23
10.	सशक्त भारत में नारी का योगदान	खुशबू चौधरी	24
11.	पहाड़ों की रानी, मसूरी की कहानी	मीना आहूजा	25
12.	इस हकीकत पर लिखो	रणवीर सिंह 'अनुपम'	26
13.	बिखरना	संतोष कुमार तिवारी	27
14.	लिखना जरूरी है क्या	वैशाली	27
15.	नो हॉर्न प्लीज	शशिकांत यादव	28
16.	भारत मंडपम, नई दिल्ली-2024		30
17.	हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 में रक्षा मंत्रालय का उल्लेखनीय योगदान	...	31
18.	कितना पर्याप्त है	शशिकांत यादव	32
19.	सुबकियां	पलक	32
20.	गलतफ़हमी से आजादी	अनु भटनागर	33

21.	जल संकट	मन्जू	33
22.	एक अविस्मरणीय यात्रा वृत्तांत	एडी एल खोलरिंग	34
23.	मैं हिन्दुस्तान हूँ	खुशबू चौधरी	36
24.	खासियत मेरे देश महान की	कुलदीप सिंह परिहार	36
25.	मुक्तक	कुलदीप सिंह परिहार	37
26.	बड़ा ही महत्व है	बृजेश कुमार	37
27.	विकसित भारत @2047	आनंद कुमार पाल	38
28.	स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में निवास करता है: तेज-तरार दुनिया में स्वास्थ्य का मार्ग	कौशल प्रसाद सहायक अनुभाग अधिकारी	39
29.	मैं गंगा हूँ	रघुनंदन सिंह	42
30.	मेरी बेटी	रंजना	43
31.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए. आई.) का भारत के प्रशासनिक ढांचे में संभावित उपयोग	दिनेश कुमार	44
32.	विकसित भारत 2047	गौरव अग्रवाल	46
33.	जीवन में खेलों का महत्व	संजय कुमार	48
34.	भारत सरकार की राजभाषा नीति	काले खां	49
35.	सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग, समस्या और समाधान		52
36.	रक्षा मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किए जा रहे विशिष्ट प्रयासों का विवरण		54
37.	हिंदी पखवाड़ा, 2024, रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), पुरस्कार वितरण समारोह		56
38.	संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण		58
39.	माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण		59
40.	माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति की निरीक्षण बैठक		60

विकसित भारत @2047

भारत लगभग 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सतत दर से विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बृहत अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2012 से छह पायदानों की छलांग लगाकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत को 28 वर्ष की औसत आयु वाली विश्व की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी का सुलाभ प्राप्त है। यह एशिया की सबसे बड़ी और सर्वाधिक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कोविड महामारी के बावजूद, भारत ने 'वी' आकृति की रिकवरी हासिल की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत की परिकल्पना की है जिसका लक्ष्य देश को 32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी बनाना तथा प्रति व्यक्ति आय को 9 गुना बढ़ाकर 22000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें अगले 23 वर्षों तक साढ़े सात प्रतिशत की औसत वास्तविक जीडीपी संवृद्धि की आवश्यकता होगी, निर्यात 20 गुना बढ़ाना होगा और जीडीपी में उद्योग का हिस्सा कम से कम 35% करना होगा।

विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए देश में व्यावसायिक परिवेश तथा निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कई बड़े सुधार किए गए हैं। इनमें विनिर्माण आउटपुट में वृद्धि करने के लिए अर्थव्यवस्था के 14 क्षेत्रों में 26 बिलियन अमेरिकी डालर की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, सेमी कंडक्टरों को विकसित करने के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डालर के प्रस्तावित निवेश से एक सेमी कंडक्टर इंडिया मिशन

और कॉरपोरेट कर दरों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है। इसे व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) जैसी पहलों से समर्थन मिला है जहां वैश्विक स्तर पर हमारी रैंकिंग, वर्ष 2014-2019 तक पांच वर्षों की अवधि में 79 पायदान ऊपर चली गई है इसके अनुपालन में 40,000 से अधिक की कमी आई है और जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत 42 विधानों के 183 से अधिक उपबंधों को अपराध-मुक्त किया गया है। साथ ही, जीएसटी के क्रियान्वयन से व्यापार करने की अंतर्राज्यीय बाधाएं समाप्त हो गई हैं और पूरे भारत को एक एकल राष्ट्रीय बाजार बना दिया गया है। इसके अलावा, पीएम

गतिशक्ति राष्ट्रीय मिशन/मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना से सक्रिय अवसंचरना आयोजना सहित बेहतर संचारिकी दक्षता प्राप्त हुई है। परिणामस्वरूप, भारत अब न सिर्फ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था बन गई है, बल्कि इसने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वीं रैंकिंग भी हासिल कर ली है, इसे तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का गौरव प्राप्त है और इसकी लॉजिस्टिक रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इन सभी कारकों के कारण भारत में होने वाली सतत वृद्धि दर का प्रभाव हमारे कर संग्रहण में भी दिखाई देता है जहां पिछले छह वर्षों में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 60% तक बढ़ गई है तथा 12200 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले भारतीयों की संख्या अब चौगुनी हो गई है।



भारत की विकास गति को हमारे वास्तविक एवं डिजिटल अवसंरचना में बढ़ते निवेश से भी बल मिलता है। अब भारत सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निर्माण में जीडीपी का लगभग 3.4% खर्च करता है, एक दशक पहले यह आंकड़ा केवल 1.79% था। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की अवसंरचना में तीव्र गति से वृद्धि हुई है जो कि पिछले 10 वर्षों में 1.6 गुना हो गई है जबकि हवाई अड्डों की संख्या दो गुनी हो गई है तथा हमारी पोर्ट हैंडलिंग क्षमता में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, इसके साथ-साथ हमारे पोर्टों का कारोबारी समय वैश्विक मानकों के अनुरूप है। सभी नागरिकों के लिए यूनिक डिजिटल आईडी, 700 जिलों को 5जी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा डेटा लागतों में कटौती के कारण भारत विश्वभर में मोबाइल फोन उपयोग में नंबर 2 और रीयल टाइम डिजिटल भुगतानों में नंबर 1 बन गया है। इससे हमारी आर्थिक वृद्धि के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है। अब भारत नवीकरणीय ऊर्जा का भी चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक में जी-20 देशों के बीच इसका प्रदर्शन सर्वोत्तम है। हमारी जीवाश्म रहित ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक की वृद्धि होने की संभावना है और हम वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा व जीवाश्मों के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूती से लगे हुए हैं तथा वर्ष 2070 तक कुल शून्य उत्सर्जन के हमारे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं।

हालांकि जीडीपी वृद्धि पर जोर देकर भारत ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समावेशन को भी प्राथमिकता दी है जिससे विगत 10 वर्षों में 13 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हुई है।

पिछले 10 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 30 मिलियन से अधिक घरों के निर्माण के प्रावधान के साथ-साथ 67% गरीब लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता भी इस समावेशी और सतत वृद्धि मॉडल का सबूत है।

इन सभी पहलों और योजनाओं के साथ भारत के बढ़ते कदमों को देखते हुए, हमें पूरी आशा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने में सफल होंगे।



राजेश कुमार सिंह
रक्षा सचिव



कृत्रिम बुद्धिमत्ता; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता [आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए. आई.)] की वजह से विश्वभर में शासन पद्धतियों में आमूल-चूल परिवर्तन आ रहा है और भारत जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अपनी प्रशासनिक संरचना में, ए. आई., प्रौद्योगिकी को तेजी से अपना रहा है। भारत की विशाल और जटिल नौकरशाही में ए. आई. का समावेश दक्षता, पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अनेकों संभावनाएं प्रदान करता है। भारत की अपनी तरह की प्रशासनिक चुनौतियों जैसे अधिक जनसंख्या, विभिन्न भाषाओं की उपस्थिति और बुनियादी ढांचे की कमी इत्यादि सहित, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में, ए. आई. के माध्यम से अनेक परिवर्तनकारी समाधान प्राप्त किए जा सकते हैं।


निर्णय लेने और नीति-निर्माण में संबंध

भारत की प्रशासनिक संरचना में ए. आई. का सबसे बेहतर उपयोग नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को जागरूक बनाए रखने और डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने की इसकी क्षमता में निहित है। ए. आई. वास्तविक समय में विशाल डेटा सेटों (datasets) का विश्लेषण कर सकता है, जिससे आर्थिक रुझान, जन स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े, सामाजिक विकास संकेतक और पर्यावरणीय परिवर्तन जैसी जानकारी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, ए. आई.-आधारित पूर्वानुमान विश्लेषण से आर्थिक परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे नीति-निर्माता अपनी रणनीतियों को समयानुकूल बना सकते हैं। जन स्वास्थ्य के मामले में, ए. आई., बीमारियों के फैलने संबंधी मॉडल का अनुमानित स्वरूप तैयार कर सकता है, जिससे बीमारियों के फैलने की समय पर रोकथाम की जा सके, जैसा कि कोविड-19 के दौरान देखा गया था। इसके अतिरिक्त, ए. आई. एल्गोरिदम (algorithms) के द्वारा विभिन्न नीतिगत परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे सरकारी अधिकारी निर्णयों को कार्यान्वित

करने से पहले उनके प्रभावों का आकलन कर सकें। इससे नीतिगत विफलताओं को कम करने और शासन पद्धति की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में सुधार

भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को अक्सर प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ए. आई. इन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे सेवाओं के त्वरित एवं पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ए. आई.-सक्षम चैटबॉट्स (chatbots) का उपयोग नागरिकों के द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में (FAQ), शिकायत दर्ज कराने में या सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे सरकारी कार्यालयों पर बोझ कम हो सकता है। पासपोर्ट, लाइसेंस और अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन इत्यादि प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने हेतु ए. आई. का उपयोग करने से मानवीय त्रुटि और उसमें होने वाली देरी को न्यूनतम किया जा सकता है। ए. आई. प्रणाली, अत्यावश्यकता के आधार पर सेवा अनुरोधों की प्राथमिकता का निर्धारण और इसे ट्रैक कर सकती है, जिससे महत्वपूर्ण मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ए. आई.-संचालित निगरानी प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकती है कि कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष वितरण हो, जिससे विसंगतियों या संभावित धोखाधड़ी की पहचान की जा सके।



चेहरा पहचान प्रणाली का उपयोग अपराधियों को ट्रैक करने, गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान करने या सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। भविष्य सूचक निगरानी मॉडल के द्वारा अपराध डेटा का विश्लेषण कर उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है, जिससे अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन के तहत अधिक प्रभावी ढंग से संसाधनों का आवंटन किया जा सकता है। न्यायपालिका में ए. आई. कानूनी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने, मामले की फाइलों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और पिछले निर्णयों के आधार पर सुझाव प्रदान करने में सहायता कर सकता है। इससे मामलों की संख्या कम करने और त्वरित न्याय प्रदान किए जाने का सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। ए. आई.-आधारित कानूनी शोध टूल्स, न्यायाधीशों और वकीलों को प्रासंगिक उदाहरणों और कानूनी विधियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक कार्यकुशल बन पाती है।

भ्रष्टाचार से निपटना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना

भारत की प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार लंबे समय से एक समस्या रही है, जिससे सरकारी संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हुआ है। ए. आई., पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाकर भ्रष्टाचार से लड़ने में एक मूल्यवान टूल साबित हो सकता है। ए. आई.-संचालित विश्लेषणों के द्वारा वित्तीय लेनदेन और सरकारी अनुबंधों को ट्रैक किया जा सकता है और धोखाधड़ी की संभावना वाली संदिग्ध गतिविधियों को भी चिन्हित किया जा सकता है। सरकारी अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाकर ए. आई. ऐसे मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम कर सकता है जो अक्सर रिश्वतखोरी और पक्षपात का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त ए. आई. का उपयोग सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए किया जा सकता है, जिससे इन योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण पर वास्तविक समय से संबंधित अपडेट प्राप्त किए जा सकते हैं।

इससे सार्वजनिक निधियों के कुशलतम उपयोग के लिए नागरिकों और निगरानी संगठनों के द्वारा सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

चुनौतियाँ और आगे की राह

हालांकि, भारत की प्रशासनिक संरचना में ए. आई. के अपार संभावित लाभ हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी हैं। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह संबंधी जोखिम और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता जैसे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ए. आई. प्रणाली नीतिपरक रूप से डिजाइन की गई हो, जिसमें डेटा के उपयोग, जवाबदेही और सुधार तंत्र के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हों। ए. आई. की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत को आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, अपने कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होना चाहिए और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए यदि ए. आई. को उचित रणनीति के साथ आत्मसात किया जाए तो यह भारत की शासन प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए एक शक्तिशाली टूल बन सकता है।

मनीष त्रिपाठी
संयुक्त सचिव
(चिकित्सा/संसद/स्थापना)



विकसित भारत @2047: भारत की उन्नति की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल

भारत, वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा और इस अवसर पर देश को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना सरकार और देशवासियों के दिलों में बसता है। विकसित भारत @2047 पहल एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण है, जो भारत को अगले 25 वर्षों में एक आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि, “अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।” यह पहल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, आत्म-निर्भरता और नवाचार पर आधारित है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की मूलभूत संरचनाओं को मजबूत करने, गरीबों और किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। विकसित भारत @2047 के तहत, आर्थिक विकास को मुख्य आधार के रूप में देखा गया है। ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ इसके प्रमुख घटकों में से एक है, जिसका उद्देश्य देश को

स्वावलंबी बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि “आत्मनिर्भर भारत केवल एक योजना नहीं है, यह भारत के भविष्य की नींव है।” इस अभियान ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है।

वर्ष 2020 में शुरू किए गए ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत 20 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जिससे उद्योगों, लघु व्यवसायों और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिली है। इसके अलावा, उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकीय बदलावों की दिशा में एक प्रमुख कदम है, जो भारत की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि करेगा।



गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति- यही हैं विकसित भारत की नींव-सरकार ने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिससे करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया गया है, जिससे महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि देश में नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार-बार कहा है कि, "डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य घटक है।" डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है, जिससे आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो रहा है। सरकार ने 5G नेटवर्क की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे भारत अब एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में उभर रहा है। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई जैसी प्रौद्योगिकी सुविधाओं ने वित्तीय लेन-देन को सरल और सुरक्षित बनाया है। इससे न केवल भारतीय नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है, बल्कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।

विकसित भारत की दिशा में किसानों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्नदाता हमारे विकास के केंद्र में हैं, उनकी प्रगति से ही देश की प्रगति संभव है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की मदद मिल रही है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे किसान सामूहिक रूप से अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकते हैं। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

विकसित भारत की दिशा में नारी शक्ति का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर नारी शक्ति को सशक्त किया जाए, तो कोई भी राष्ट्र पीछे नहीं रह सकता। बेंटी बचाओ, बेंटी पढ़ाओ अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

हाल ही में, सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जो विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की, जो देशभर में चलाई जा रही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए थी। इसके साथ ही, सरकार ने वर्ष 2023 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

विकसित भारत @2047 का लक्ष्य केवल आर्थिक या प्रौद्योगिकी उन्नति नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसमें सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और नागरिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

अनिल कुमार छापोलिया
संयुक्त सचिव
(स्थापना और समन्वय)



फौजी का जीवन

बहुत कठिन फौजी का जीवन
चाहे सीमा हो या पलटन
न्यौछावर करता है यौवन
मातृभूमि का प्यारा कण-कण।

कभी मरुस्थल, कभी सघन वन
कठिनाई में बीता जीवन
बर्फ ढँकी पर्वत चोटी पर
डटा रहे वह निर्भय-सा मन॥

जब याद माता-पिता की आए
पत्नी, बच्चों की याद सताए
फिर भी वह फौजी ही है जो
मातृभूमि पर मर मिट जाए।

अनुशासित जीवन है उसका
शरद, ग्रीष्म चाहे हो वर्षा
डटा रहे सीमा पर निर्भय
उसे नहीं लगता कोई भय॥

जब खिलता है उसका यौवन
घर जाने को करता है मन
पी.टी. परेड से निपटा जब
आता है याद बहुत बचपन।

छुट्टी पर जब घर जाता है
निज बच्चों से मिल पाता है
पूछता है हाल-चाल सबके
और सबके मन को भाता है॥

सेवानिवृत्त होकर के जब
वह अपने घर को आता है
सारे समाज सारे जहान में
सब नवयुवकों के लिए वही
अद्भुत मिसाल बन जाता है॥

(बृजेश कुमार)

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी



ध्वज पर तन अर्पण



घर की दहलीजें रो-रोकर, कहती हैं वापस आने को,
आँगन में पड़ती नीम की छाया, तरसेगी सहलाने को,
अगली बार ये फूस का छप्पर, कुछ और पुराना होगा,
और झरोखों की गौरैया का, कुछ और ठिकाना होगा,
देहरी पर लटका पर्दा, थोड़ा झीना हो जाएगा,
लकुटी वाले दादा का चलना, थोड़ा धीमा हो जाएगा,
जाने कितनी बार जलेगी, जब चूल्हे की मिट्टी पुरानी होगी,
माँ फिर मेरी याद करेगी, जब उसको रोटी बनानी होगी,
घर से निकला आँखों में बसा, घर की हर छवि ये सैनिक मन,
निकले हैं ये पग सरहद, करने ध्वज पर तन को अर्पण।

जिन कंधों पर बचपन खेला, वो अब थोड़ा झुक जाएंगे,
इंतजार में बूढ़ी आँखों के, चलते पल रुक जाएंगे,
घर की कच्ची दीवारें खुद को, जैसे-तैसे साधेंगी,
और माँ आँचल के इक कोने में, अपने आँसू को बांधेगी,
सारे जज्बातों को समेटे, घर में एक चिट्ठी आएगी,
जो मुट्ठी भर खुशियाँ कह देगी, आँचल भर गम को छुपाएगी,
इन शब्दों में जैसे झलकेगा, हर रिश्ते के मन का दर्पण,
निकले हैं ये पग सरहद, करने ध्वज पर तन को अर्पण।



बिन झगड़े घर की बुलबुल की, चंचलता खत्म हो जाएगी,
तकरारें करने वाली बहन, एकदम से बड़ी हो जाएगी,
मुझको और मेरे बचपन को, याद करेगी रो देगी,
मिली अगर तो मुझसे लिपट कर, माँ सुध-बुध ही खो देगी,
पर अभिलाषा है अपने पिता के, मस्तक का अभिमान बनूं,
सिंचित करूं लहू से धरती, और देश की शान बनूं,
फिर क्यों न राष्ट्रध्वज में लिपटा, घर पर लौटे ये मेरा तन,
निकले हैं ये पग सरहद, करने ध्वज पर तन को अर्पण।

देश-प्रेम की निष्ठा में, सर्वस्व लगाया जाता है,
सरहद की रक्षा हेतु, भावों को भुलाया जाता है,
जब मातृभूमि की सेवा में, बलिदान चढ़ाए जाते हैं,
भारत माता की खातिर फिर, रिश्ते भी भुलाए जाते हैं,
कितने माँ-बापों ने राष्ट्रवेदी पर, अपने लालों को वार दिया,
कितने बेटों ने भारत माँ का, अपने प्राणों से श्रृंगार किया,
यू ही भारत माँ की रक्षा को, मैं कर दूँ प्राणों का अर्पण,
निकले हैं ये पग सरहद, करने ध्वज पर तन को अर्पण

(कृष्ण कान्त शुक्ला)
अवर श्रेणी लिपिक



जीवन में खेलों का महत्व

अगर बैठा-ठाला दिमाग शैतान का घर है, तो बैठा-ठाला शरीर भी कुछ कम तो नहीं। बल्कि शरीर और दिमाग तो पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिथिल शरीर तमाम शारीरिक और मानसिक बीमारियों की जड़ है। बहुत दिलचस्प है, शरीर और मन-मस्तिष्क का ये नाता। खेलता शरीर है और तरो-ताजा दिमाग हो जाता है। हरी घास, पाँव स्पर्श करता है पर शांति का अनुभव मन को होता है। विज्ञान पुख्ता करता है कि खेल हमें शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है।

खेल-कूद का प्रभाव शरीर पर प्रामाणिक रूप से होता है। शारीरिक रूप से खेल-कूद हमारी माँसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमें सुडौल बनाता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण भी खेल-कूद की कमी है। आज के दौर में प्रायः यह देखा गया है कि लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। हर किस्म की जरूरत की चीजों के आसानी से उपलब्ध होने के कारण आम जनता कई बीमारियों जैसे कि हृदय-रोग, मधुमेह और उच्च-रक्तचाप का शिकार हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसी खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, वजन को नियंत्रित रख सकते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत अपने शरीर के विभिन्न अंगों को प्रदान कर सकते हैं।

शरीर की ताकत और स्वास्थ्य की बात तो काफी सरल रूप से प्रामाणिक है। लेकिन खेल-कूद के फायदे मानसिक स्वास्थ्य पर भी होते हैं, यह बात भी अब सबको विदित है। कई सारे शोध आज प्रकाशित हो रहे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की विकराल समस्या को उजागर कर रहे हैं और साथ में खेल-कूद की महत्ता को भी उजागर कर रहे हैं, जिसके जरिए मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से हम लड़ सकते हैं। मानसिक तौर पर खेल हमें तनाव-मुक्त रखता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करने में भी खेल-कूद काफी सहायक सिद्ध होता है।


खेल हमारा आत्मसम्मान प्रबल करता है। लक्ष्य-प्राप्ति के लिए लगन और मेहनत की प्रेरणा देता है।

खेल हमें सामाजिक रूप से भी जोड़ता है और सामाजिक रूप से हमें उचित व्यवहार भी सिखाता है। लोगों के साथ मिलकर काम करने का सद्भाव सिखाता है। एकता, समर्थन का भाव जगाता है। अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। हार-जीत को समदृष्टि से देखना, खेल के माध्यम से सहज होने लगता है।

किसी व्यक्ति के लिए खेल की उपयोगिता और महत्व के अलावा भी खेल एक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी करते हैं और पदक लाते हैं तो देश का मान-सम्मान भी बढ़ता है। काफी हद तक किसी देश का खेल-कूद में प्रदर्शन उस देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को भी दर्शाता है।

अंततः स्वस्थ शरीर एक सौगात है। शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से चौकस और सजग होना ईश्वर का आशीर्वाद है। इस तोहफे और आशीर्वाद का सकारात्मक उपयोग करना मनुष्य का धर्म है। खेल से बेहतर इस शरीर और मन का ख्याल रखने का कोई और विकल्प नहीं है।

अमिताभ रंजन सिन्हा
संयुक्त सचिव एवं
अपर वित्तीय सलाहकार



सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य

आज के व्यस्त जीवन में हर व्यक्ति थोड़ा सुकून चाहता है, लेकिन सुकून की राह में सैकड़ों दुश्वारियां हैं। विज्ञान ने जहां सुख-सुविधा के साधन जुटाए हैं, वहीं जीवन में तनावों और दबावों का स्तर भी बढ़ाया है। इन सबके बीच सोशल मीडिया का आगमन जहां एक तरफ एक क्रांति है वहीं दूसरी तरफ यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां भी लेकर आया है। आज इस लेख में हम कुछ ऐसे ही मुद्दों की पड़ताल करेंगे।

इस लेख की शुरुआत, हम खुद से कुछ प्रश्न पूछने से करेंगे। अगर इनमें से अधिकतर प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो आगे आपके काम की बातें लिखी हैं। लेकिन अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं में भी है, तो भी आपने अपने आस-पास किसी न किसी जानने वाले में ये समस्याएं जरूर देखी होंगी। तब भी ये लेख आपके काम का है। आइए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं:

- क्या आप बिना किसी बात के ही चिड़चिड़ेपन का अनुभव करते हैं?
- क्या आपको हमेशा जीवन में खालीपन प्रतीत होता है?
- क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं?
- क्या आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते और एकाग्रता का अभाव महसूस करते हैं?

ये स्थितियां कुछ-कुछ जानी-पहचानी-सी प्रतीत हुईं न? तो आइए, आगे चलते हैं।

आपने गौर किया होगा कि आजकल ज्यादातर लोग उठते ही क्या करते हैं- फेसबुक, व्हाट्सएप पर मैसेज देखते हैं। अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो देखते हैं। मीम्स देखते हैं, जिस वजह से लोग अपना सुबह का रूटीन ठीक से शुरू नहीं कर पाते। परिणामतः खीझने की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। जब हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील या कोई अन्य रोचक चीजें देखना शुरू करते हैं तो कहां जाकर रुकेंगे ये हमें खुद पता नहीं होता। इस तरह हम अपने मूल कार्यों से भटक जाते हैं।

तो आइए, आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस

सबके पीछे जो चीज है, उसका नाम है- डोपामाइन (dopamine) 'डोपामाइन' एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारे किसी कार्य के पूरा हो जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में सोचने पर हमारे शरीर द्वारा उत्सर्जित होता है। जैसे- जब भूख लगी होती है और हम कुछ खाने के बारे में सोचने लगते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होती है। वाह, अब हमें खाने से ऊर्जा प्राप्त होगी और हम खुश हो जाते हैं। ये वास्तव में शरीर के भीतर डोपामाइन के स्राव के कारण होता है। अब ये कुछ इस तरह से होता है कि हमने इधर कुछ अच्छी बात की, और उधर ये शरीर में उत्पन्न हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि जैसे ही इसका असर खत्म होता है, हम एक अजीब-सा खालीपन महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब है कि चाहे जितनी बार ये खुशी उत्पन्न हो किन्तु कुछ देर बाद हमें खालीपन लगने लगेगा। अतः जितना ही हम इन गतिविधियों में लिप्त होते जाते हैं उतना ही हमारा खुद पर नियंत्रण खत्म होने लगता है और हम अधिक-से-अधिक इन चीजों में फँसते चले जाते हैं। भले ही ये हमें वास्तविक आनन्द न दे पाए पर हम 'डोपामाइन' की खुराक के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, और हमें इस बात का पता भी नहीं होता। इस तरह आत्मनियंत्रण कम होने से हमारा किसी भी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप हम टालमटोल (procrastinate) करना शुरू कर देते हैं।

वास्तव में अगर देखा जाए तो अन्य जरूरी एंजाइम और रसायनों की तरह डोपामाइन की व्यवस्था भी प्रकृति ने मनुष्य के जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए की है, लेकिन वर्तमान में चतुर व्यावसायियों द्वारा इस व्यवस्था को हाइजैक कर लिया गया है। वर्तमान में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। अतः बाजार में चीजों की माँग कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाजार जबरदस्ती अपना माल बेच सके इसके लिए कंपनियों द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। इंटरनेट के दौर में बाजार में चीजों को बेचने के लिए मनोविज्ञान

का सहारा लिया जाने लगा है। तरह-तरह के विज्ञापनों से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और चैटिंग प्रोग्राम तक इसके उदाहरण हैं। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा मनोवैज्ञानिक रिसर्च पर एक बड़ी धनराशि इसीलिए व्यय की जाती है, ताकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उनके वेबसाइट/प्लेटफार्म से चिपके रहें। यही उनकी कमाई का स्रोत है। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के मालिक आज विश्व के टॉप-10 अमीरों में हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। एक उदाहरण रील्स का भी ले सकते हैं। आजकल हर वीडियो प्लेटफार्म पर 30 सेकेंड के छोटे वीडियो रहते हैं, जिन्हें रील्स कहा जाता है।


जब आदमी इसे देखना शुरू करता है तो बिना खत्म किए नहीं छोड़ता क्योंकि 30 सेकेंड में ही उसे इसका अंत मिल जाता है और उसकी उत्सुकता का भी शमन हो जाता है। इससे एक क्षणिक खुशी उत्पन्न होती है, जो शरीर में डोपामाइन के स्त्राव के कारण होती है। इसके प्रभाव में व्यक्ति एक के बाद एक रील देखता चला जाता है और कितनी देर बाद इससे छूट जाएगा, ये उसे खुद भी पता नहीं होता, क्योंकि वो डोपामाइन एडिक्शन के कारण अनजाने में यंत्रवत रील्स स्कॉल किए जा रहा होता है। हालाँकि जब वह जबरदस्ती मोबाइल रखकर किसी तरह उठता है तो झल्लाया हुआ ही होता है, जो कि स्वाभाविक भी है। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि डोपामाइन का असर समाप्त होने पर व्यक्ति में खालीपन होना स्वाभाविक ही है। इस तरह से व्यक्ति दो तरह से परेशान हो उठता है एक तो डोपामाइन का असर समाप्त होने के कारण उत्पन्न हुई झल्लाहट और दूसरा जरूरी काम में उपयोग किए जाने वाले समय का व्यर्थ हो जाना। आपने गौर किया होगा कि हम लोग मोबाइल उठाते तो ज्यादातर किसी जरूरी काम से ही हैं, पर कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म के चंगुल में फँसकर अपना समय और दिमाग दोनों खराब करने लगते हैं। इसी को कहा जाता है कि 'आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास'। आपके मन में अब क्या आ रहा है ये मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि समस्या की बात तो बहुत हो गई और हम समझ भी गए कि हम सभी थोड़ा या बहुत कहीं-न-कहीं इस समस्या से ग्रसित हैं। लेकिन अब इससे निपटने का कुछ उपाय भी तो होगा। तो लीजिए अब हम उसी ओर चलते हैं। जब हम यह

समझ चुके हैं कि हमें किस चीज से परेशानी हो रही है तो समस्या का निराकरण करने के लिए हमें उस चीज से दूरी बनानी होगी। लेकिन यही सबसे मुश्किल कार्य है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लुभावने प्रोग्राम के मोहजाल से बचना इतना सहज नहीं है। इसलिए मनोवैज्ञानिक इसके लिए कुछ विशिष्ट विधियाँ सुझाते हैं, जैसे-

1. सबसे पहले यह पता लगाएँ कि आपका सबसे ज्यादा समय किस मीडिया प्लेटफार्म पर जा रहा है। इसके लिए डिजिटल वेलबींग ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ये आजकल हर मोबाइल में इंस्टॉलड मिलता है।
2. दूसरा कदम है उस मीडिया प्लेटफार्म की पहुंच कठिन बनाना। इसका तरीका है कि मोबाइल की जगह लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करना। यह सुनने में जरा अजीब लग सकता है लेकिन अगर आपको वाकई प्रोडक्टिव बनना है तो आपको यह करना ही पड़ेगा।
3. तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप सुबह की शुरूआत फोन चलाने से न करें अन्यथा यह पूरे दिन के लिए आपका रूटीन बिगाड़ सकता है क्योंकि यह आपमें डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है और आप अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। इस तरह जरूरी कामों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है।

भारत जैसे देश में जहां मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव है, वहां आज ये जरूरी हो जाता है कि हमारे नागरिक और सरकार इस ओर ध्यान दें। आने वाले समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का अन्धाधुन्ध प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। हमें इस ओर ध्यान देना ही होगा। यही समय की माँग है। हमें मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने को सामान्य बनाना होगा। यह लेख भी इसी कड़ी में एक प्रयास है।

**आलोक निगम
अवर सचिव**



वीर अभिनंदन

जब दुश्मन के वायुयानों ने की भारत की ओर बुरी नजर,
तब वीर अभिनंदन ने दिखाया मिग-21 से अपना हुनर।

नभ में की ऐसी गर्जना, कि सारे शत्रु गए भाग,
शत्रु के एफ-16 को हवा में ही कर दिया खाक।

हौंसलों से युद्ध होता है, मात्र हथियारों से नहीं,
साबित किया, युद्ध जीता जाता है, कठोर प्रशिक्षण और जज्बे से, मात्र ख्वाबों से नहीं।

दुश्मन की धरती पर उतरे, पर ना थी कोई शिकन,
चारों तरफ से घिरे दुश्मनों से, पर नहीं छोड़ी आशा की किरण।

दुश्मन के घर में बन बंदी, खड़े रहे निडर सिंह से,
योद्धा कभी विचलित नहीं होते, खतरों और जंग से।

देख वीर अभिनंदन की तावदार मूछें, दुश्मन भी हुआ उनका कायल,
सर गर्व से ऊंचा था, चाहे कितने भी थे घायल।

डराने, धमकाने की कोशिश की दुश्मन ने हजार,
आँखों में थी चमक, आवाज थी बुलंद, साहस था अपार।

देख उन्हें ऐसा लगा, जैसे हनुमान खड़े हो लंका में,
सूझबूझ से जवाब दिए, नहीं दिखे तनिक भी शंका में।

परिवार की चिंता छोड़ी, मातृभूमि को अपनाया,
भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाया।

वीर चक्र से हुआ ये वीर सम्मानित,
सभी भारतीय हैं, अभिनंदन पर अभिमानित।

जय-जय अभिनंदन, जय-जय भारत माता,
अमर हो गई, अभिनंदन की वीर-गाथा।

लोकेन्द्र सिंह
सार्जेंट



उसकी वर्दी वुफछ कह रही

इंतजार था जिस बेटे का क्यों लौट नहीं वो पाया है,
सैनिक एक मेरी तरफ क्यों यूं वर्दी उसकी लाया है।
एक अजीब सी है बेचैनी जो कब से मेरे मन को खा रही,
लगता है जैसे रक्तरंजित ये उसकी वर्दी कुछ कह रही।
कहती है-

“क्यों आंसू बहाती है तू माँ जो बेटा तेरा शहीद हुआ है,
खुशानसीब है ये तो जो वतन को मुफीद हुआ है।
कहती थी न तू कि अनोखा हूँ मैं
तो तू देख न ओ माँ!
अनोखों को ही मिलता है जो कफन तिरंगा मुझे नसीब हुआ है।

यूँ दुखी न हो माँ, जो आज मैं लौट न पाया,
माँ मैंने तो मिट्टी का कर्ज है चुकाया।
मार गिराया उन्हें जो आए थे मेरे देश को झुकाने,
तब जाके तेरे बेटे ने शहीद कहलाने का गौरव है कमाया।

स्वेटर सिया था जो मेरे लिए, मेरे बेटे को पहनाना,
भगत सिंह, राजगुरु, जैसे वीरों की कहानी उसे सुनाना।
बस एक विनती है मेरी तुझसे ओ माँ!
मेरे बेटे को भी बड़ा करके मेरी तरह फौजी ही बनाना।

पत्नी उसकी रोते-रोते तोड़ अपनी चूड़ियां रही,
‘सोने दो मेरे पापा को’ उसका बेटा सबसे कह रहा।
छोटी बहन उसकी न जाने कैसे ये सब सह रही,
लगता है जैसे रक्तरंजित ये उसकी वर्दी कुछ कह रही।



आदीश कुमार बंसल
आशुलिपिक 'घ'



सशक्त भारत में नारी का योगदान

‘नारी जीवनदायिनी है।’ यह कथन उतना ही सत्य है जितना धरती पर जीवन। समाज में नारी की स्थिति सदैव ही चर्चा का विषय रही है। बदलती परिस्थितियों के साथ समाज में नारी की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। भारत में पुरातन समय में नारी की स्थिति आज की अपेक्षा अधिक अच्छी होने के प्रमाण मिलते हैं। वेदों और पुराणों में अनेक विदुषियों के नामों का उल्लेख मिलता है। परंतु बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ नारी की स्थिति भी समाज में गिरती चली गई। नारियों का घर और परिवार की देखभाल करने का कार्य उसके निशक्तिकरण का साधन बन गया। उन्हें हीन भाव से देखा जाने लगा। समाज नारी को हमेशा अपनी आवश्यकता अनुसार ढालता आया है। पितृसत्तात्मक समाज ने हमेशा नारियों को दबा कर रखा है। समाज में प्रचलित बहुत-सी कुप्रथाएं यथा बाल-विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा इसके साक्ष्य उदाहरण हैं। भारत में इन कुप्रथाओं के नुकसान और उनको हटाए जाने का एक अलग इतिहास रहा है।

इस लम्बे इतिहास के बाद आज भारत जब सशक्तिकरण की राह पर चल रहा है तो इसमें भारत की नारियां बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि ‘लोगों को जाग्रत करने के लिए महिलाओं का जाग्रत होना जरूरी है।’ प्रत्येक क्षेत्र में नारी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ नारियों ने अपना परचम न फहराया हो। यहां तक कि वे क्षेत्र भी जहां नारियों का प्रवेश निषेध माना जाता था, आज उन क्षेत्रों में भी नारियों ने अपनी काबिलियत का परचम लहराया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो चाहे स्कूली परीक्षाओं के परिणाम हों या प्रतियोगी परीक्षाओं के, सभी इस बात को दर्शाते हैं कि लड़कियां इन क्षेत्रों में बाजी मारती रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आई.ए.एस, आई.पी.एस जैसी परीक्षाओं में भी लड़कियां अक्वल आती रही हैं जो उनके सशक्तिकरण का प्रमाण हैं। नारियों को शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर माना जाता है इसलिए उन क्षेत्रों में जहां शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करना होता है वहां भी नारियां अपनी क्षमताओं से सबको चौंका रही हैं। इनमें से ही एक क्षेत्र है सशस्त्र सेनाएँ। आज सशस्त्र सेनाओं में सिर्फ पुरुष ही नहीं, नारियां भी बराबर योगदान दे रही



हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में विभिन्न पदों पर आज नारियां उत्कृष्ट कार्य करते हुए देश सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। भारतीय वायु सेना की स्कवाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी वर्ष 2018 में सुखोई-30 एमके I फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। वर्ष 2020 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थल सेना की कैप्टन शिवा चौहान विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र सियाचीन ग्लेशियर में तैनात की जाने वाली पहली महिला बनी। डॉक्टर सीमा राव, सेना की पहली और एकमात्र महिला प्रशिक्षक हैं जिन्होंने सेना के लगभग 15,000 कमांडोज को प्रशिक्षित किया है।

उद्योग जगत हो या राजनीति, प्रत्येक क्षेत्र में नारियां अपनी धाक जमाए हुए हैं। आज ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो न केवल सभी नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं अपितु आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल का काम करेंगे। आज नारियां केवल घर की चाहरदीवारी तक सीमित न रहकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। कल्पना चावला से लेकर सुनीता विलियम्स, मैरी कॉम से लेकर निखत जरीन, इंदिरा गांधी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक हर क्षेत्र में ऐसे अनगिनत उदाहरण दिखते हैं। उद्योग जगत में आज भारतीय महिलाएँ अपनी धाक जमाये हुए हैं। फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार, इंदिरा नूई, विनीता सिंह, रिया कर ऐसी बहुत सी महिलाएँ आज नारी शक्ति का परिचय दे रही हैं।

आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्हें सिर्फ शिक्षित कर देना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें पुरुषों के समान अवसर देना भी जरूरी है। आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

खुशबू चौधरी
कनिष्ठ अनुवाद
अधिकारी



पहाड़ों की रानी, मसूरी की कहानी

पहाड़ों में बसा हुआ एक पर्यटन स्थल “मसूरी”। यह एक ऐसा स्थान है जहां जाने से मन प्रसन्न तो होता ही है और साथ में ऐसा प्रतीत होता है मानो हम बादलों में हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बादलों में हूँ और मसूरी बहुत नीचे है, यह मेरा आंखों देखा नजारा है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम बादलों में घिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो बादल चारों ओर से हमारी रक्षा कर रहे हों, ना ही केवल प्राकृतिक दृश्य बल्कि प्राकृतिक खाने के व्यंजनों का भी क्या कहना। हवाओं, बादलों इन सबका नजारा देखकर मन प्रसन्न होता हुआ यह कहता है कि एक घर पहाड़ों में भी होना चाहिए।

पल में धूप, पल में छाव
पल में बारिश, पल में बादल
पल-पल बदलता हुआ मौसमों का कारवां
यही है, यही है मसूरी की दासतां



मीना आहूजा
सहायक अनुभाग
अधिकारी



इस हकीकत पर लिखो

इस हकीकत पर लिखो या, उस फसाने पर लिखो,
आज पर भी तुम लिखो, गुजरे जमाने पर लिखो,
घाव देने का चलन, हर ओर अब है चल रहा, जब लिखो
तब यार कुछ, मरहम लगाने पर लिखो।

नफरतों पर मत लिखो, मत दिल दुखाने पर लिखो,
दुःख में डूबे हुए, सारे जमाने पर लिखो,
हादसों पर हादसे, हर ओर अब तो हो रहे,
आदमी के दर्द और, उसके कराहने पर लिखो।


भोले-भाले इन किसानों की जमीनों पर लिखो,
ताक में बैठे हुए इन नामचीनों पर लिखो,
देश में रहकर रखते, देश से जो दुश्मनी,
साँप जो पाले हुए, उन आस्तीनों पर लिखो।

है गरीबी चीज क्या, इसको बताने पर लिखो,
देश से इस भुखमरी को अब मिटाने पर लिखो,
बात कीजिए खेत की, खलिहानों की और भूख की,
आदमी के अब उजड़ते, आशियाने पर लिखो।

बाग पर लिखते हो तो, मौसम सुहाने पर लिखो,
पक्षियों के कोलाहल और चहचहाने पर लिखो,
जिंदगी अनमोल है, आशा उमंगों से भरी,
उड़ने को चूजों के परों के फड़फड़ाने पर लिखो।

दिल्लगी पर मत लिखो अब दिल लगाने पर लिखो,
फूल पर लिखते हो तो, भौरें दीवाने पर लिखो,
रूप और श्रृंगार पर सब कुछ तो तुमने लिख दिया,
प्रेयसी की बाट और प्रियतम के आने पर लिखो।

साथियों आगे बढ़ो, गम भूल जाने पर लिखो,
मर रही इंसानियत को अब बचाने पर लिखो,
कंक्रीटों के यहां जंगल खड़े चहुंओर हैं,
इस धरा को पेड़-पौधों से सजाने पर लिखो।



रणवीर सिंह 'अनुपम'
उपसचिव



बिखरना

मैं चाहता था, बिखरना यूँ ही, न समेटे कोई चाहकर मुझको।
है क्या वजह इसकी, जानना चाहते सब, भला बताऊँ किसको।
लहरें अक्सर भूल जाती हैं, क्या ले आई समेट कर साथ अपने।
हो गया आशियाना बर्बाद किसका, बिखर गए सजे कितने सपने।

अब, चिराग जिनका, ढूँढ़ने जाता कौन है, बस पता चल जाए।
हम भी कर लेंगे दोस्ती, गहरी उससे, बस एक बार मिल तो जाए।
नजरोँ से शर्माना, अदा ये कभी थी नहीं, क्या करते हम मिलकर कभी।
अब तो जिन्दगी भर, क्या शर्मने की कोशिश, करते रह जाएँ सभी।

मृग-तृष्णा अब, रेगिस्तानी मैदानों में, नहीं सीमित, वरन सदाबहार वनों में भी।
बिखरकर दूसरों की खुशी में, संवरना चाहिए क्या, सीखना कदाचित बाकी है।
अरमानों का भूल जाना, चाहता कौन है, कोई बतलाता नहीं कभी किसी को।
माझी चाहता है पार करना सागर को, किनारों से चलकर, मझधार में सभी को।

हार नहीं मानूँगा मैं कभी, कुदरत के करिश्मे को जानकर, सब मानकर।
हारना सीखना चाहता है कौन, मन को मारकर, दूसरे की चाहत चाहकर।
चंद साँसें जब तक हैं बाकी, है तब तक गम किस बात का, जेहन में।
चाँद की साँसें भी सहमी हुई, बस जिद है कि छा जाए मन में “तिवारी”।



संतोष कुमार तिवारी
लिपिक

लिखना जरूरी है क्या



कुछ कहने के लिए अल्फाजों का होना जरूरी है क्या...?
कुछ लिखने के लिए कागज-कलम का होना जरूरी है क्या..?
क्यों न कभी कुछ ऐसा हो पंक्तियों के बीच की खाली जगह को भी पढ़ा जाए,
जो कभी कही ही न गई हों, उन बातों को भी सुना जाए,

क्यों हमेशा एक ही राह को चुना जाए,
वक्त के साथ क्यों न मुश्किल और नई राहों को चुना जाए,
क्यों हमेशा सुबह होने के लिए पंछियों की चहचाहटों का इंतजार किया जाए,
कभी तो खुद उठकर नए सवरे का आगाज किया जाए,

सफेद तो भाता है सबके मन को, चलो इस बार काले को पसंद किया जाए,
सदियों से चलती आ रही रिवायत-कदमों को देखकर पीछे चलने की,
चलो एक कदम किसी नए मोड़ की ओर लिया जाए,
चलो कुछ बेहतर लिखना छोड़कर, कुछ बेहतर किया जाए।



वैशाली
बहुकार्य कर्मचारी

‘नो हॉर्न प्लीज’-कहानी

“सड़क पर आते ही लोग सुनना क्यों बंद कर देते हैं? हॉर्न बजाते रहो सुनते ही नहीं”, बाइक चलाते-चलाते सौरभ मन ही मन बुदबुदाया और जोर से हॉर्न बजाते हुए सड़क पर बाइक भगाने लगा।

सौरभ एक क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव था। काम की वजह से वह हमेशा जल्दी में रहता था और इसी कारण बाइक तेज स्पीड में चलाना, बाइक जिगजैग करना और जोर-जोर से हॉर्न बजाना सौरभ के लिए कोई नई बात नहीं थी। रोज पचासों क्लाइंट्स से मिलना, उनको कार्ड के बेनिफिट्स बताना, कुछ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना और जो क्लाइंट इरिटेड हो जाए उनसे गालियां भी सुनना, ये सब उसका रोज का काम था। जब वह इस भागदौड़ वाली जिंदगी से तंग आ जाता, तो खुद को थोड़ा सुकून देने के लिए शाम को अक्सर किसी शांत जगह पर ठहर जाता। ये बात और है कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसी जगह ढूँढ पाना अपने आप में ही एक टेढ़ी खीर है।

कभी-कभी दिन जब बहुत ज्यादा खराब गुजरता तो घर लौटते हुए सौरभ यमुना के पुल पर खड़ा हो जाता। उदास मन कुछ चाहता है, तो वो है थोड़ी-सी खामोशी, किसी नदी का किनारा, दूर डूबता हुआ सूरज और थोड़ा-सा अपना आसमान। वैसे भी हर मर्ज का इलाज न डॉक्टर के पास होता है, न कभी हो सकता है।

एक दिन की बात है, सौरभ तैयार होकर बाइक पर निकला ही था कि अचानक एक बच्चा सामने आ गया। उसने हॉर्न बजाने की कोशिश की पर हॉर्न नहीं बजा। स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसलिए जैसे-तैसे ब्रेक लगाकर बाइक रोकनी पड़ी।

“अरे, हॉर्न को क्या हुआ? कल तक तो सही बज रहा था। यहां की भीड़भाड़ में हॉर्न के बिना तो सड़क पर बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ स्टार्ट भी काम नहीं कर रहा। मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा।” मन ही मन वह बुदबुदाया।

“आज तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, टाइम निकालना मुश्किल है, कल दिखाता हूँ मैकेनिक को।” उसने मन में सोचा।



उस दिन उसे बाइक चलाने में बहुत मुश्किल हुई। कोई-न-कोई बाइक के सामने आ ही जाता और फिर उनको आगे से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती। बिना हॉर्न के बाइक चलाना ऐसा लग रहा था जैसे बिना छड़ी के बकरियों के झुंड को हाँकना। जितना मर्जी हाँक लो, बकरियां हटेंगी तो बस अपनी मर्जी से ही। महीने के अन्तिम दिन चल रहे थे, तो टारगेट भी तो पूरे करने थे। इसलिए अगले कुछ दिनों में भी उसे मैकेनिक के पास जाने का समय नहीं मिल सका।

ऐसे एक-एक, करते-करते दस दिन बीत गए। सौरभ ने महसूस किया कि अब उसे बिना हॉर्न भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। उसने धीरे-धीरे खुद को एडजस्ट कर लिया था। अब उसने अपनी ड्राइविंग की रफ्तार भी कम कर ली थी और ट्रेवलिंग टाइम भी बढ़ा लिया था। उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे ही सड़क पर जिनसे उलझने का कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिनों बाद एक दिन सौरभ को मैकेनिक के पास जाने का टाइम मिल ही गया। उस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी।



“भैया, हॉर्न नहीं बज रहा। सेल्फ स्टार्ट भी काम नहीं कर रहा।” उसने मैकेनिक से कहा।

“ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ।” मैकेनिक बोला।

“इसकी बैटरी खराब हो गई है, चेंज करनी होगी।” मैकेनिक ने चेक करने के बाद कहा।

“ठीक है, चेंज कर दीजिए।” सौरभ ने कहा।

दस मिनट में बैटरी चेंज हो गई। हॉर्न फिर से बजने लगा, सेल्फ स्टार्ट फिर से काम करने लगा। बाइक फिर से पहले जैसी हो गई। मगर एक बार जो वक्त बीत जाता है वो वापस नहीं आता और बदलते वक्त के साथ बदलता हुआ इंसान भी पहले जैसा होता है, वैसा कभी नहीं रहता।

अगले दिन सुबह जब बाइक लेकर सौरभ निकला तो वह खुश था कि हॉर्न आखिर ठीक हो चुका था। इतने दिनों तक बिना हॉर्न के ड्राइव करते-करते वो हॉर्न की आवाज तक भूल चुका था। अब रास्ते में वह जब भी हॉर्न बजाता उसकी आवाज उसके कानों को चुभती। जहाँ हॉर्न की बहुत ज्यादा जरूरत होती वहाँ भी सौरभ हॉर्न इस्तेमाल करने से कतराता।

एक-दो दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पहले जो हॉर्न उसके बाइक की सबसे जरूरी चीज थी आज वो सौरभ के मन में चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही थी। पहले जिसके बिना सौरभ को लगता था कि बाइक चलाना मुश्किल है आज वो हॉर्न बेकार हो चुका था और ये बात सौरभ के जहन में कहीं तो घूम रही थी।

शाम का वक्त था। सौरभ घर लौट रहा था। जैसे ही यमुना के पुल पर वह पहुँचा, उसने बाइक धीमी की और बाइक रोककर एक तरफ लगा दी। सौरभ खुद थोड़ी दूर पुल की रेलिंग के पास खड़ा हो गया। दूर सूरज ढल रहा था। नीचे नदी बह रही थी। कुछ बच्चे नदी के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। सौरभ ये सब देख रहा था और मन

में कुछ सोच भी रहा था।

कभी-कभी कुछ चीजें जो वैसे तो बेकार होती हैं पर जाने अनजाने हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं, कभी-कभी तो ये भी लगने लगता है कि इन चीजों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। जैसे ही हम ऐसी चीजों के बिना जीना सीख लेते हैं, ये चीजें बेकार हो जाती हैं। फिर इनके बिना ही जिंदगी बहुत सुकून वाली हो जाती है।

शाम अब रात में बदल रही थी। सौरभ जिंदगी का एक पाठ पढ़ चुका था। वह बाइक के पास आया। उसने हॉर्न को तार समेत खींचा और बाइक से उखाड़कर उसे नदी के पानी में फेंक दिया।



सौरभ ने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में थोड़ी ठंडक थी, आसमान में चांद था और सौरभ के मन में शांति। अगले दिन सौरभ जब अपनी बाइक लेकर निकला न कोई शोर उसे सुनाई दे रहा था, न कोई शोर करने वाली चीज उसके पास थी।

रास्ते में उसने एक दुकान से बाइक के पीछे स्टिकर भी लगवा लिया, जिस पर लिखा था-“नो हॉर्न प्लीज।”

प्लीज अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हॉर्न है जो बहुत शोर करता है तो आज ही अपनी जिंदगी से उसे निकाल फेंकें। सच मानें जिंदगी ऐसे कई हॉर्न के बिना बहुत अच्छी चलती है।

शशिकांत यादव
अवर सचिव



भारत मंडपम, नई दिल्ली-2024

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। संविधान की इसी भावना के अनुरूप गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विगत कई वर्षों से शासकीय कामकाज और आधिकारिक संप्रेषण में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई सफल प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों में से एक है: हिंदी दिवस (14 सितंबर) एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन।

भारत मंडपम, राजभाषा हीरक जयंती को समर्पित सम्मेलन का सफल आयोजन- वर्ष 2024 में 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाने के क्रम में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2024 को हिंदी दिवस एवं 14-15 सितंबर, 2024 को चतुर्थ अखिल राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया था।



हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 में रक्षा मंत्रालय का उल्लेखनीय योगदान



माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी

हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2024 में रक्षा मंत्रालय के स्टॉल का अवलोकन करते हुए

भारत मंडपम, नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती के रूप में वर्ष 2024 में आयोजित किए गए सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के द्वारा भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव महोदया सुश्री दिप्ति मोहिल चावला, राजभाषा प्रभाग के प्रभारी अधिकारी, संयुक्त सचिव महोदय श्री मनीष त्रिपाठी जी के कुशल मार्गदर्शन में राजभाषा प्रभाग के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक व डीआरडीओ के सम्मिलित प्रयासों से रक्षा मंत्रालय की नवीनतम सैन्य क्षमता (ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक, तेजस, लड़ाकू विमान इत्यादि मॉडल), भाषाई सशक्तता को दर्शाते हुए भारत मंडपम में रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑडियो-वीडियो (साभार: सैन्य चित्र प्रभाग) संचालन सहित एक स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई गई। इसकी सराहना माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा समारोह के दौरान मंच से किए गए संबोधन में उन्मुक्त कंठ से की गई जोकि रक्षा मंत्रालय के लिए निश्चित रूप से अत्यंत गौरवमयी क्षण था।

कितना पर्याप्त है

सभी कहते हैं बहुत मंहगाई है लुट रही हर तरफ उनकी कमाई है बहुत थोड़ा है जितना उन्हें प्राप्त है मैं पूछता हूँ- जीवन जीने के लिए कितना है- जो बिल्कुल पर्याप्त है?

जब थोड़ा था तब रोते थे फिर और मिला, पर खुशी न मिली धन बढ़ते जाने के साथ-साथ मन की सारी इच्छाएं बढ़ीं धन और बढ़ा, मन और बढ़ा फिर पैसे का रंग भी साथ चढ़ा ये मानव इच्छाएं होती कब समाप्त हैं कोई कितना अर्जित करे, कि कह सके इतना है, जो बिल्कुल पर्याप्त है...

हम कहने को कुछ कहते हैं करने को और ही करते हैं ज्यादा पाने की चाहत में न जीते हैं, न मरते हैं जो थोड़ा था, वो पड़ा रहा ज्यादा भी संचित कर डाला ज्यों पीछे मुड़कर देखा तो आ गया वक्त जाने वाला

न प्रेम किया, न मित्र बने परिवार संग न हँस-बोल सके किसी चिर-परिचित के जीवन में न कोई मधुरता घोल सके

जरा सोचो कभी अपने बारे में क्या चाहा था, क्या पाया है क्या सच में यह वो जीवन है जो अब तक जीता आया है।

जीवन को जीने के लिए जितना भी मिले पर्याप्त है यह सोच पर निर्भर करता है क्या पर्याप्त है क्या अपर्याप्त है...

शशिकांत यादव
अवर सचिव



सुबकियां



खुले पिंजरों में कितने ही पंछी रह जाते हैं बंद हमेशा तूफान रंगों में दौड़ता है इनकी, धड़कता दिल, थमा कलेजा

365 दिन, 365 कहानियां मौन, कुछ दबी हुई ये कहानियां, शोर करता भीतर का सन्नाटा कानों को भेद जाने वाला भींचती आंखों में प्रचंड ज्वाला

तकियों की हो कर रह जाती हैं कितनी ही ऐसी सुबकियां खचर-खचर जिंदगी की पटरी पर दौड़ती सहमी-सहमी, बेधड़क औंधे मुंह गिरती ये पत्तों-सी नाजुक कहानियां ऐसी दिलचस्प ये कहानियां।

पलक
कनिष्ठ अनुवाद
अधिकारी



गलतफ़हमी से आजादी

गलतफ़हमियों में ना खुद को उलझाओ
सिलसिले ना ये इस कदर बढ़ाओ
नादानियों को कहो अलविदा
और दिल से हर बोझ को हटाओ
फासले जो धीरे-धीरे बढ़ गए हैं बेशुमार
उन कड़वी यादों की पक्की मोम-सी दीवारों को
भरोसे की मासूम मुस्कुराहटों से पिघलाओ
गलतफ़हमी के शिकार, एक-दूसरे के दिल के गुनहगार
तो हम सभी हुए हैं कहीं ना कहीं
किसने, किसको, कितना, कब, कैसे आजमाया
बढ़ती दूरियों ने इन सवालों-जवाबों में
हर इंसान को है बहकाया
फिर इन गलतफ़हमियों ने ऐसे किस्सों
को भी कह सुनाया

जिन्हें वास्तविकता ने कभी नहीं था अपनाया
साथ ही, एक-दूजे पर वो इल्जाम भी लगाया
जिसका अंजाम कभी सोचा ही नहीं
मगर, फितरत अपनी थी शायद एक जैसी ही
इसलिए घुट-घुट कर जीने का तरीका तो अपनाया
पर अपने अंदर झांकने का साहस कभी ना आया
दुविधाओं को संवारने के लिए कोई आइना ही नहीं उठाया
तो चलो, अब बहुत हुआ
मिलकर दफन कर डालते हैं इन झुंझलाहट भरी आवाजों को
आओ, निपटा लेते हैं सब शिकवे-शिकायतों को
और फिर से जश्न मनाते हैं
सुकून का, सौहार्द का, एहसासों का, मर्यादाओं का
इन खूबसूरत रिश्तों से भरपूर जिंदगी के सही मायनों का
और हासिल कर लेते हैं 'मेरी गलती नहीं है'
वाली 'गलतफ़हमी से आजादी'

अनु भटनागर
वरिष्ठ अनुवाद
अधिकारी



जल संकट



जल संकट बढ़ रहा है, धरती गरम हो रही है,
जरूरत से ज्यादा दोहन से, प्रकृति संतुलन खो रही है।
दुनिया सिमटती जा रही है, चाँद पर पहुँच गया इंसान,
जहाँ लहराते थे खेत कभी, वहाँ बन गए अब मकान।

खेत खलिहान बंजर हो रहे, गहरे हो रहे कूप,
भयंकर गर्मी हाहाकार करे और पेड़-पौधे गए सूख।
अब संयुक्त परिवार नहीं रहे, जो हैं वो भी घटते जा रहे हैं,
हिस्से आए हैं जो खेत उनके, वह भी बटते जा रहे हैं।

अन्न, जल खत्म और होगी बेगारी, फैलेंगे रोग और
बढ़ेगी बीमारी,
जीव जन्तु हो रहे गुम, धरा में कार्बन रहा घुल।
जल संकट बढ़ रहा है, धरती गरम हो रही है,
जरूरत से ज्यादा दोहन से, प्रकृति संतुलन खो रही है।

जल कुदरत की देन है, करें इसका सम्मान,
दूषित इसे नहीं करें, यह होगा अपमान।
आओ मिलकर हम सभी, छेड़ें यह अभियान,
जल का भंडारण सब करें, होगा तभी विहान।

मन्जू
बहुकार्य कर्मचारी



एक अविस्मरणीय यात्रा वृत्तांत



यह जून 1995 में मेरी बम्बई से गुवाहाटी की यात्रा का वर्णन है, जब बम्बई का नाम मुम्बई बदला जाने वाला था। मेरी याद में मैं गुवाहाटी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था और यात्रा का अनुमानित समय 50 घंटे से अधिक था। उन दिनों इतनी दूर की यात्रा करना आम नागरिकों के लिए उनके बजट से बाहर होता था और लंबी दूरी के लिए ट्रेन ही यात्रा का मुख्य साधन था। हालांकि, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय वातानुकूलित कोच उपलब्ध थे और मेरा टिकट एसी 3 टियर में था। वर्ष 1995 तक मैं स्नातक हो चुका था और सिविल सेवा परीक्षा और अन्य रोजगार परीक्षाओं के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय के सदुपयोग के लिए और व्यस्त रहने के लिए मैं अपनी बीमार चाची को आइजोल वापस घर ले जा रहा था। वे अपने इलाज के लिए बम्बई आई थीं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उस दिन बम्बई-गुवाहाटी एक्सप्रेस शुरुआत से ही 6 घंटे से अधिक देरी से चल रही थी, लेकिन अंततः हम अपने रास्ते पर थे। उन दिनों मुझे धूम्रपान करने की आदत थी, और समय-समय पर धूम्रपान करने के लिए वातानुकूलित क्षेत्रों से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे

ही 'धूम्रपान क्षेत्रों' में जाने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति से वहां मेरी मुलाकात हुई- जो इस कहानी का मुख्य किरदार है।

उन्होंने पहल करते हुए अपना परिचय सैवियो मिरांडा के रूप में दिया, जिनका जन्म और पालन-पोषण बम्बई में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज गोवा से थे। उन्होंने कहा कि उन्हें घूमना पसंद है, क्योंकि वे कभी उत्तर-पूर्व में नहीं गये थे इसलिए वे नए दोस्त बनाने और नयी जगहें देखने के लिए गुवाहाटी और उसके आगे जा रहे हैं। हमने कुछ बातों की और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने गोवा, और विशेषकर उसके दक्षिणी भाग के प्रति अपने प्रेम का उल्लेख किया। उस समय वे बम्बई में किसी निजी क्षेत्र की नौकरी कर रहे थे।

सैवियो ने मुझसे उत्तर-पूर्वी राज्यों की यात्रा के बारे में सुझाव माँगे, और मैंने उन्हें पहले गुवाहाटी में घूमने और उसके बाद कामाख्या मंदिर, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र और उमानंद द्वीप देखने का सुझाव दिया। भव्य ब्रह्मपुत्र नदी में नाव की सवारी भी जरूरी थी। उसके बाद वे नजदीक ही शिलांग जा सकते थे, वहां की प्राकृतिक

सुंदरता, झरनों और चैरापूँजी इत्यादि के लिए। मुझे यह उल्लेख करना याद है कि शिलांग को भारत की 'रॉक कैपिटल' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में 'रॉक बैंड' हैं, और गोवा से होने के कारण उन्हें यह पसंद आ सकता है। मैंने इम्फाल, आइजोल, कोहिमा और अगरतला जैसे अन्य स्थानों का भी सुझाव दिया, और यह भी बताया कि इन स्थलों की यात्रा के लिए 8 घंटे से अधिक की लंबी सड़क यात्रा की आवश्यकता होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी विशेष रूचि केवल असम में है, और इसलिए मैंने डिब्रूगढ़ और तेजपुर-उनकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, और इनके अलावा दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप 'मजूली' का सुझाव दिया। उन्हें असम के इतिहास और वहाँ के लोगों की प्रकृति में भी रूचि थी, और मैंने उन्हें अपनी जानकारी के अनुसार प्राचीन कामरूप साम्राज्य और उसके बाद के शक्तिशाली अहोम साम्राज्य के बारे में बताया। यह बात पुनः अंकित होती है कि यह बात 1995 की है जब गूगल का आविष्कार नहीं हुआ था। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि मैंने अपने असमिया परिचितों को सौहार्दपूर्ण, मिलनसार और सीधा-सादा पाया। सैवियो अपने साथ गोवा के कुछ पकवान लाया था जिन्हें उसने लंबी यात्रा के दौरान मेरे साथ बांटेकर खाया। मुझे डोडोल सहर्ष याद आता है, जो चावल के आटे, नारियल, नारियल के दूध और गुड़ से बनी भूरे रंग की मिठाई थी। हमारे पास चावल के आटे और किशमिश से बनी सेवई जैसी मिठाई 'लेट्री' भी थी।

सैवियो ने मुझे बताया कि यह पुर्तगाली मूल की मिठाई है, जिन्होंने इसका नाम 'परी के बाल' रखा था। लेकिन सबसे स्वादिष्ट पकवान 'बेबिनका' था जिसे सटीक 'गोवा की रानी मिठाई' कहा जाता है, और यह मूलतः बहुत सारे नारियल के दूध और इलायची से बना कई परतों का केक था। मुझे याद है कि सैवियो के पास 'बेबिनका' की लगभग 10 परतें थीं।

गुवाहाटी के रास्ते में, न्यू जलपाईगुड़ी को पार करते ही, दृश्यों में नाटकीय बदलाव दिखता है। मध्य प्रदेश और बिहार के सूखे खेतों की जगह हरी-भरी हरियाली ले लेती है, और सपाट छतों की जगह झुकी हुई छतें ले लेती हैं- जो इस क्षेत्र में प्रचुर बारिश के संकेत देते हैं। जैसे-जैसे हम गुवाहाटी के करीब पहुँचने लगे, सैवियो थोड़ा चिंताग्रस्त दिखने लगे और वो कम बात कर रहे थे।

अंततः जब हम गुवाहाटी से लगभग 100 कि.मी. दूर थे, सैवियो ने मुझे धूम्रपान क्षेत्र में बुलाया और अपनी परेशानी का कारण बताया, ऐसा समझ आया कि जब से वे 17 साल के थे, जो कि 8 साल पहले का वक्त था, उनकी एक युवा पत्रिका 'द टीनएजर' (जिसे अब 'द टीनएजर टुडे' कहा जाता है) के माध्यम से जोरहाट, असम की एक महिला मित्र (पेन-फ्रेंड) थीं। इन वर्षों में वे दोनों पत्रों व तस्वीरों का आदान-प्रदान कर रहे थे और उनके बीच एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएँ विकसित हो गईं। वे उस लड़की और उसके परिवार से पहली बार मिलने जा रहे थे। अब मैं उनके असम के लोगों के संबंध में किए गये प्रश्नों और ढेर सारी मिठाइयों को समझ पा रहा था।

मुझे कभी मालूम नहीं हुआ कि अंततः इस पूर्व और पश्चिम की प्रेम कहानी का क्या हुआ। हालाँकि, जब भी मैं इस यात्रा के बारे में सोचता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे दोस्त सैवियो मिरांडा को उसके जीवन में खुशी मिली होगी।

एडी एल खोलरिंग
संयुक्त सचिव एवं
अपर वित्तीय सलाहकार



मैं हिन्दुस्तान हूँ



एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं,
140 करोड़ की पहचान हूँ, मैं हिन्दुस्तान हूँ।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक
सौन्दर्य का बखान हूँ, मैं हिन्दुस्तान हूँ।

“जियो और जीने दो” का संदेश देता
“वसुधैव कुटुम्बकम्” को अपनाता
जन-जन का अभिमान हूँ मैं हिन्दुस्तान हूँ।

विविधता में एकता की
तोड़फोड़ में अटूट गठजोड़ की
एक अनोखी दास्तान हूँ, मैं हिन्दुस्तान हूँ।

कला, विज्ञान, अनुसंधान से
विश्व में अलग पहचान बनाता, विश्वगुरु कहलाता,
मैं नेता महान हूँ, मैं हिन्दुस्तान हूँ।

खुशबू चौधरी
कनिष्ठ अनुवाद
अधिकारी



‘खासियत मेरे देश महान की’

ऋचाएं वेद की, आयतें कुरान की।
गूंजती एक साथ, फिजा में आसमान की।
ईद और दीवाली, होली और मुहर्रमा
मनाती रही साझा, आवाम हिन्दुस्तान की।
यही तो खासियत है, मेरे देश महान की।
मंदिर हो या मस्जिद, गिरिजाघर या गुरुद्वारा।
एक राशि के अक्षर से, हर नाम बना प्यारा।
राम हो, या रहीम, कृष्ण हो या करीम।
करते हैं सभी, बस एक ही इशारा।
अनेकता में एकता, है विशेषता पहचान की।
यही तो खासियत है, मेरे देश महान की।
दुश्मन हो कोई देश का, या कोई गद्दार।
जोर लगा ले कितना भी पर होगी उसकी हार।

स्वतंत्रता हमारी, अखण्डता हमारी।
कभी मिट नहीं सकती, रहेगी सदा यूं ही एकता
बरकरार हमारी।

वतन के वास्ते सभी, बाजी लगाते जान की।
यही तो खासियत है, मेरे देश महान की।
सर्वधर्म समभाव, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ दर्शन है।
जियो और जीने दो सबको, हमारा चिंतन है।
‘अहिंसा परमोधर्मः’, शरणागत को देता सहारा।
भीष्म प्रतिज्ञा और रघुकुल सा वचन पालन है।
सत्कर्मों में रत रहने की, प्रवृत्ति यहां इंसान की।
यही तो खासियत है मेरे देश महान की।

कुलदीप सिंह परिहार
आशुलिपिक ‘घ’



मुक्तक



हमारी दिव्यता भी दिव्य है।
हमारी भव्यता भी भव्य है।
देखकर भारत को मेरे,
ये दुनिया किंकर्तव्य है।

राष्ट्र ही भक्ति, राष्ट्र ही शक्ति, राष्ट्र ही सर्वस्व है।
राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र ही अस्तित्व है।
तन-मन-धन न्यौछावर करना भी कम है, इसकी खातिर।
बार-बार जन्मूं यहां और दूं शहादत यह ही कृतित्व है।

राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं।
राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र नहीं तो धर्म नहीं।
कीमत पर राष्ट्र की, धर्मपालन नहीं उचित,
राष्ट्र-हित सर्वोपरि, सिवा इसके कोई कर्म नहीं।

हमारी आन-बान-शान है तिरंगा।
जान से अजीज हमारा मान है तिरंगा।
है कुर्बान इस पर, सर्वस्व हमारा,
विश्व में हमारी पहचान है तिरंगा।

कुलदीप सिंह परिहार
आशुलिपिक 'घ'



बड़ा ही महत्व है।

युगों में त्रेता का, समाज में नेता का,
दुकान पर क्रेता का, बड़ा ही महत्व है।
मकान में जाली का, सभा में ताली का,
वृक्ष में डाली का, बड़ा ही महत्व है।
दरवाजे पर ताले का, रिश्तों में साले का,
घर में आले का, बड़ा ही महत्व है।
सर्दियों में रजाई का, दूध में मलाई का,
घर में जमाई का, बड़ा ही महत्व है।
ग्रंथों में गीता का, नारियों में सीता का,
फलों में पपीता का, बड़ा ही महत्व है।
पक्षियों में सारस का, पत्थरों में पारस का,
भाषा में कारक का, बड़ा ही महत्व है।
अस्पताल में रोगी का, आश्रम में योगी का,
बाबाओं में ढोंगी का, बड़ा ही महत्व है।
कमान में तीर का, युद्ध में वीर का,
मरुस्थल में नीर का, बड़ा ही महत्व है।
भाषाओं में हिंदी का, सुहागनों में बिंदी का,
शिव के साथ नंदी का, बड़ा ही महत्व है।



बृजेश कुमार
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी



विकसित भारत @2047

विकसित भारत @2047 का लक्ष्य समस्त भारतवासियों के लिए एक संकल्प होना चाहिए। भारत राष्ट्र को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सरकार को प्रयास करना होगा। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपनी विकास दर को 7% के ऊपर निरंतर बनाए रखें तथा कार्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं एवं मंदी का असर हम अपने विकास पर कम से कम पड़ने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विकसित भारत का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इस लक्ष्य में जन भागीदारी न हो। इसलिए योजना के हर स्तर पर जन भागीदारी एवं जन सहयोग अति महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित योजनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है:

1. शिक्षा

हमारा देश आज भी एक ग्रामीण प्रधान देश है जहां आज भी 60% जनसंख्या गांवों एवं छोटे कस्बों में निवास करती है। गांवों, कस्बों एवं छोटे शहरों के स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हमारी प्राथमिक आवश्यकता होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में आज भी प्राथमिक, माध्यमिक एवं कॉलेज स्तर पर शिक्षा विश्वस्तरीय नहीं है। इसके साथ ही हमारी शिक्षा व्यवस्था किताबों पर केंद्रित ज्यादा है जबकि शिक्षा

व्यवस्था व्यावहारिक भी होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों पर केंद्रित होनी चाहिए। मेरा मत है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बच्चों को केवल नैतिक मूल्यों, अच्छे विचार एवं व्यवहार, अनुशासन, राष्ट्रीयता, स्वस्थ आहार तथा स्वस्थ आचरण की शिक्षा ही दी जानी चाहिए।

विषयों से संबंधित शिक्षा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक तथा व्यावसायिक एवं पेशेवर शिक्षा कक्षा 12 के बाद शुरू होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुशासन, नैतिक मूल्यों का पालन हमारी पीढ़ियां शिक्षा के हर स्तर पर निरंतर बनाए रखें। शिक्षा के स्तर में आज से शुरू किए गए प्रयास आने वाले 20 वर्षों के बाद अपना प्रभाव देश के हर स्तर पर हो रहे त्वरित विकास में अपनी अहम भागीदारी प्रकट करेंगे जो कि विकसित भारत की आकांक्षा के अनुरूप होंगे।

2. उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था

स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का निर्माण करता है एवं स्वस्थ मन ही स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का एक अहम पहलू है। आज भी हमारे देश में ग्रामीण एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं विश्व-स्तरीय नहीं हैं इसमें सरकारी एवं निजी दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक-ठाक नहीं है। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर स्तर पर लोगों को सही खानपान एवं स्वस्थ जीवन शैली के आवश्यक मानदंडों के प्रति जागरूक करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं पर्यावरण संबंधी मानदंडों का नियमित एवं निश्चित समाधान हो जिससे कि जन स्वास्थ्य एवं जटिल बीमारियों की रोकथाम प्रारंभिक स्तर पर ही हो जाए। लोगों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली एवं स्वस्थ खानपान संबंधी जानकारी प्राप्त होने से सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी खर्च को कम किया जा सकता है एवं स्वास्थ्य के उच्च स्तर को भी प्राप्त किया जा सकता है।



3. अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी

भारत को अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मूलभूत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाओं के माध्यम से तकनीकी एवं अनुसंधान केंद्रों एवं संस्थाओं को प्रेरित करने के साथ सहयोग भी प्रदान करना होगा और यह व्यापक स्तर पर होना चाहिए। प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतों के लिए भारत को विकसित देशों से बहुत ज्यादा मदद लेनी पड़ती है जिसके कारण हम अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य एवं औद्योगिकीकरण के लिए दूसरे देशों से आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहते हैं जो कि अत्यंत ही महंगी हैं और उसमें होने वाले नित्य नए प्रारूप के लिए हमें बार-बार खर्च करना पड़ता है एवं रॉयल्टी आदि के माध्यम से अपनी पूंजी को अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात करना पड़ता है। विकसित भारत के लिए यह जरूरी है कि हमें अपनी विकास संबंधी जरूरतों के लिए दूसरे देशों द्वारा हस्तांतरित प्रौद्योगिकी पर निर्भर न रहना पड़े।

अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी पर काम किए बिना विकसित भारत का संकल्प अधूरा रहेगा।

4. आय एवं अवसरों का समान वितरण

भारत में आय की असमानता को कम करना भी विकसित भारत के संकल्प का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने एवं व्यक्तिगत रूप से विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध होना आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश के प्रत्येक क्षेत्र, राज्य एवं दूर-दराज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के अवसर समान रूप से उपलब्ध हों। आवश्यकता है कि शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं उत्पादन संबंधी कार्यों के पर्याप्त अवसर हों साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम अपनी सक्षम जनसंख्या का उपयोग अपने राष्ट्र को आगे ले जाने में कर सकते हैं। इसके लिए सामूहिक विचार-विमर्श एवं सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

5. संतुलित विकास

देश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी राज्यों का विकास हर स्तर एवं हर क्षेत्र में समान हो। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं निरंतरता बनाए रखना एक प्राथमिक दायित्व है जो कि सरकारों के प्रयास से ही संभव है।

6. भ्रष्टाचार मुक्त एवं जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था

किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था हो वह हर स्तर पर इतनी सुव्यवस्थित हो जिसमें जवाबदेही हो एवं भ्रष्टाचार की संभावना तथा संरक्षण न हो। इसके लिए निरंतर प्रयास एवं जागरूकता की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों का हर स्तर पर क्रियान्वयन व्यावहारिक रूप से हो न कि कागजी तौर पर।

7. रक्षा की आत्मनिर्भरता

भारत को अपनी रक्षा संबंधी जरूरतों को स्वयं के स्तर पर पूरा करना होगा जिससे कि हम तकनीकी सहायता एवं सहयोग के माध्यम से दूसरे देशों पर निर्भरता को कम कर सकें।

भारत अपने आप में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर देश है परंतु हमारे समक्ष मानसिक एवं बौद्धिक दोनों स्तर पर भी अपनी आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करते रहने की चुनौती है जिससे कि किसी भी तरह के जोखिम को समय के अनुरूप तुरंत ही समाप्त किया जा सके और राष्ट्र रक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से बिना डरे एवं बिना देरी किए निपटा जा सके।



8. सामाजिक एवं धार्मिक समरसता

किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश में सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण हो। देशवासियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे व्यर्थ की बातों में न उलझते हुए परस्पर सम्मान का भाव रखें एवं भारतवर्ष की महान संस्कृति के अनुरूप व्यावहारिक रहें। सरकारी प्रयास ऐसे हों कि सभी नागरिकों में समानता का भाव हो एवं राष्ट्र प्रथम की भावना ही सर्वोपरि हो।

9. आर्थिक सुधार एवं विकास योजनाओं में पारदर्शिता

पिछले दशकों में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में जो तेजी आई है उसे निरंतर बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सरकारी योजनाओं एवं कार्यों में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही यह भी विचारणीय होना चाहिए कि लिए गए सभी निर्णय भविष्य में सही साबित हों ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए समय-समय पर सुधारात्मक पहल की जानी भी बेहद जरूरी है। आर्थिक सुधारों का लाभ सभी वर्गों जैसे कि नागरिकों, निवेशकों, सामाजिक समीकरणों, उद्योगों एवं पर्यावरण के अनुकूल हो, साथ ही सभी नागरिकों को निजी विकास महसूस हो एवं देश में आर्थिक असमानता घटती हुई प्रतीत होनी चाहिए।

यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक सुधारों के माध्यम से जो भी व्यक्ति या संस्था सरकारी नीतियों का इस्तेमाल अनुचित तरीके से या किसी भी तरह से दुरुपयोग करके राष्ट्र हित के प्रतिकूल कार्य करें तो कार्यवाही अविलंब एवं त्वरित रूप से हो जिससे कि सरकारी प्रयासों एवं संसाधनों का नुकसान कम से कम हो।

असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हितों एवं उनके द्वारा महसूस की जा रही परेशानियों के लिए समय से एवं त्वरित रूप से समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि देश में बढ़ते हुए असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच किसी भी प्रकार से सामाजिक एवं राष्ट्र के प्रति असंतोष जन्म न ले सके।

10. नारी शक्ति एवं युवा शक्ति को प्रोत्साहन

भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही नारी शक्ति का विशेष महत्व रहा है। हमारी संस्कृति में नारी का दर्जा किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं रहा है। आधुनिक समय में नारी शक्ति हर क्षेत्र में सफल है इसलिए देश की हर गतिविधि में समान अवसर के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्तरों पर सभी निर्णयों में नारी शक्ति की सहभागिता हो।



इसी प्रकार, युवा शक्ति ही देश का भविष्य तय करती है। इसलिए 20 से 30 वर्ष के युवाओं की समस्याओं एवं उनके द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों का यदि समय से समाधान हो जाए तो युवा शक्ति अपनी ऊर्जा एवं क्षमताओं के योगदान से भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की पूरी क्षमता रखती है। इसके विपरीत यदि उनकी समस्याओं की अनदेखी होती है तो यही युवा शक्ति ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाती है जो कि देश के विकास के विपरीत होती है।

आनंद कुमार पाल
प्रधान सलाहकार
(लागत)



स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में निवास करता है: भाग-दौड़ भरी दुनिया में स्वास्थ्य का मार्ग

आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां काम का दबाव अक्सर हमारे जीवन पर हावी रहता है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना दिन-ब-दिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारे देश को “दुनिया की मधुमेह राजधानी” का दुर्भाग्यपूर्ण खिताब मिल गया है। इस दौर में जब उद्योगपति 70 घंटे से अधिक काम करने वाले सप्ताह का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में स्वस्थ रहना एक असंभव कार्य प्रतीत हो सकता है। हालांकि, कुछ प्रमुख आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके, एक संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली प्राप्त की जा सकती है।

1. डेस्क पर योग:

डेस्क पर बैठे-बैठे कुछेक सरल योगासन शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। चेयर कबूतर आसन, गर्दन खिंचाव और कंधे खिंचाव आदि जैसे आसन, काम के लंबे घंटों के दौरान सामान्यतः तनी हुई माँसपेशियों को आराम देते हैं। ये व्यायाम न केवल लचीलापन बनाए रखने और असुविधा को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं और तनाव को कम करते हैं।

2. जंक फूड को ना कहें:

फास्ट फूड की सुविधा अक्सर हमें अस्वस्थ आहार को विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि, तले हुए और परिशोधित आटे से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों से भरपूर घर के भोजन का चयन करने से समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। साबुत अनाज न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि ऊर्जा के स्तर और एकाग्रता को बढ़ाता है।

3. शारीरिक गतिविधि:

अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। छोटी-छोटी चीजें जैसे लिफ्ट या एस्केलेटर की जगह सीढ़ियां चढ़ना अतिरिक्त कैलोरी जलाने में मदद कर सकता है और आपको आकार में रख सकता है। पूरे दिन में इन छोटी-छोटी गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जो आपकी समग्र फिटनेस पर प्रभाव डालते हैं।

अपने व्यावसायिक जीवन की माँगों को पूरा करने के लिए, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम सहित कठिन दिनचर्या का पालन करना आवश्यक हो गया है। इनके बिना, कार्य-जीवन संतुलन प्राप्त करना एक दूरदर्शी लक्ष्य बना रहता है। समझदारी पूर्वक चयन करके और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर, हम एक ऐसी जीवनशैली विकसित कर सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों आकांक्षाओं का समर्थन करती हों और यह सुनिश्चित करती हों कि स्वस्थ मन, वास्तव में स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है।

कौशल प्रसाद

सहायक अनुभाग अधिकारी



मैं गंगा हूँ



मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित
मैं भारत के कण कण में हूँ
मुझमें भारतखण्ड समाहित
नगपति की गोदी में बचपन
मैदानों में पाया यौवन
आखिर जा बंगाल की खाड़ी
सागर को खुद करूँ समर्पण
स्वामिनी हूँ मैं निज जीवन की
स्वयं चुना अपना जीवन पथ
मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित।

हरित वनों के हार दिए हैं
फसलों के उपहार दिए हैं
निज अमृत तट धन्य किए हैं
जहाँ जहाँ से भी मैं गुजरी
हुई धरा धन धान्य से पूरित
मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित।

कभी विश्वगुरु सा उद्भव
कभी आजादी छिनती देखी
युगों युगों से भारत की
तकदीर बिगाड़ती बनती देखी
इसके सुख में हरषाई मैं
हो उठी इसके दुःख में व्यथित
मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित।

समदर्शी मेरी जलधारा
बिना भेद के स्नेह लुटाती
पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा
पापी को भी गले लगाती
खुद पापों का विष पी-पी कर
पिलाती आई सबको अमृत
मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित।

मानव को पाला माँ बनकर
तू ही मुझे अब लील रहा है
तेरी बढ़ती लालच से
अस्तित्व मेरा अब डोल रहा है
आज प्रकृति से बढ़कर तेरी
महत्वाकांक्षा का मूल्य हो गया
प्रदूषण और कूड़े करकट से
निज अमृत विषतुल्य हो गया
पाप तो क्या अब मैल ना धुले
हो चुकी हूँ इस हद तक दूषित
मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित।

समृद्ध हुई हैं मुझसे सदियां
खुद आज विपन्न खड़ी हूँ
भारत को जीवन देने वाली
आज मरणासन्न पड़ी हूँ
मोह नहीं है जयकारों का
ना मांगूँ मैं पूजन अर्चन
यदि दे सकते इतना दे दो
मत करो मेरा नीर मलिन
इतिहास बन गई अगर मैं तो
विनाश तुम्हारा भी है निश्चित
मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित।

जरा जागो मेरी संतानों
नींद में अब और ना सोओ
करती आई तुम्हारा पालन
कुछ तो मेरे मैल भी धोओ।
पुनरुत्थान मेरी काया का
तुम नहीं तो सोचेगा कौन
माता की आँखों के आंसू
बेटा नहीं तो पोछेगा कौन
इस संकट से मुझे उबारो
तुम ही मेरी मुक्ति का पथ हो।

तुम ही मेरे शिव हो और
तुम ही मेरे भागीरथ हो
तुमसे ही संजीवनी पाकर
हो उठूंगी फिर से जीवित
मैं गंगा हूँ सतत प्रवाहित।

रघुनन्दन सिंह


अवर सचिव एवं सहायक वित्तीय

सलाहकार

(मुख्य कार्यालय)



मेरी बेटी



मेरी छोटी-सी नन्ही-सी बेटी
जब इस दुनिया में आई
मेरे आंगन की बगिया में फूल से खिल गए
मौसम को बदलते देर न लगी थी
पल भर में धूप-सी छा गई

बारिश की बूंदों में मस्ती-सी छा गई
खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में आ गईं
हर कोई उसको प्यार से पुकारता

जब उसने पहला कदम रखा जमीं पर
घबराहट-सी होती थी मेरे मन में
कहीं डगमगाकर गिर न पड़े जमीं पर
जब कभी भी उसे चोट लग जाती

मेरे मन का अजब-सा हाल हो जाता
चुप उसे कराती और खुद रोने लग जाती

उसकी तोतली-सी भाषा में
बहुत-से शब्द समझ में न आते
फिर भी उसके बोल मुझे बहुत लुभाते
अपने पापा की प्यारी थी वो
अपनी मम्मी की दुलारी थी वो
हँसकर सबको लुभा लेती थी वो

नन्हें-नन्हें कदमों से चलती थी वो
कभी गिरती थी कभी संभलती थी वो
सभी को अपना बना लेती थी वो

मेरी जिदंगी की पहली भोर
मेरी आँखों का उजाला है वो
आज मेरी जिदंगी का सहारा है वो

रंजना
बहुकार्य कर्मचारी




आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए. आई.) का भारत वेफ प्रशासनिक ढांचे में संभावित उपयोग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए. आई.) के हमारे प्रशासनिक ढांचे में अनेक प्रयोग तथा नवाचार संभावित हैं। ए. आई. डिजिटल युग में हुए तकनीकी विकास की एक ऐसी पराकाष्ठा है जिसके अनेकानेक उपयोग हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की संभावना रखते हैं। हमारी जीवन पद्धति, कार्य तथा जिस प्रकार से हम अन्य लोगों एवं प्रशासनिक स्तर पर विमर्श तथा अन्तरक्रिया करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसमें अनेक नवाचार तथा चुनौतियां पेश करने वाली है।

हमारे दैनिक तथा सामान्य कठिन कार्यों में ऑटोमेशन जैसे कि डाटा एंट्री-फाइल्स तथा कागजों की प्रोसेसिंग तथा रिकार्ड रखने में ए. आई. ऑटोमेशन को प्रोत्साहित करेगी।

ए. आई. डाटा का विश्लेषण कर सकता है जिससे कि अनुमानित परिणामों की संभावना का पता लगाया जा सकेगा। इसका उपयोग भारत में विभिन्न स्तर पर

कार्यपालिका में उपयुक्त निर्णय लेने में अधिकारियों को सहयोग तथा विषयों के विभिन्न आयामों के बारे में विश्लेषणात्मक तथ्यों की रूपरेखा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से ही संभव हो पायेगी।



नागरिक सेवाओं में ए. आई. के प्रयोग से ए. आई. संचालित चैटबोट्स के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों तथा सवालों के तथ्यात्मक जवाब देना संभव है। इसका अधिकाधिक प्रयोग भारत में विभिन्न सरकारी तथा प्राइवेट उपक्रमों में होने लगेगा। जन शिकायतों की रिकार्डिंग तथा निस्तारण में ए. आई. का संभावित बढ़ता प्रयोग अपेक्षित है ए. आई. संचालित विश्लेषण के माध्यम में जन शिकायतों के निस्तारण एवं सूचना प्रदान करने में अभूतपूर्व क्षमता विकसित की जा सकेगी।

नीतियों के निर्माण तथा सुधार हेतु भी ए. आई. संचालित डाटा एवं उसके विश्लेषण से आवश्यक इनपुट्स मिल पायेंगे। ए. आई. संचालित डिजिटल माध्यम पारदर्शी प्रशासन की संकल्पना को साकार करने में सहयोगी होंगे। चिकित्सा सेवाओं में ए. आई. का अधिकाधिक प्रयोग भारत में किया जा सकेगा। ए. आई. संचालित डायग्नोस्टिक, टेली-मेडिसिन तथा सर्जरी इत्यादि में ए. आई. का प्रयोग भारतीय चिकित्सा संस्थानों में अपेक्षित है। चिकित्सा शिक्षा

में भी ए. आई. का संभावित उपयोग भारतीय मेडिकल संस्थानों में होगा। भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में ए.आई. संचालित ट्रेनिंग कोर्स, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग/आकलन तथा व्यक्ति आधारित शिक्षा के विकास में ए. आई. का संभावित उपयोग अनुमानित है। आयुष्मान भारत जैसे राष्ट्रीय मिशन में ए. आई. इसे अधिक सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में मददगार होगा। प्रशासनिक सुधारों में ए. आई. का अधिकाधिक प्रयोग-निर्णय लेने, प्रशासनिक स्तर पर सहयोग, ए. आई. आधारित अनुमान तथा सरकारी प्रोग्राम तथा प्रोजेक्ट्स की निगरानी, ट्रेकिंग एवं सुधार हेतु आवश्यक तथ्य प्रशासनिक अमले को अधिक गतिशील एवं सक्षम बनाने में सफल होंगे।



डिजिटल इंडिया की हमारी परिकल्पना ए.आई. के अधिकाधिक उपयोग के बिना पूरी नहीं की जा सकेगी। ए. आई. संचालित शहरी योजना तथा प्रबंधन हमें स्मार्ट सिटी जैसे महत्वाकांक्षी मिशन में सहयोग करेगा।

ए. आई. के अनेक क्षेत्रों में इसका संभावित प्रयोग न केवल प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक नागरिक सेवाओं को प्रदान करने, शिकायतों के निवारण में मदद करेगा बल्कि डाटा आधारित निर्णय लेने में सहयोगी होने से प्रशासन अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बन पायेगा। ए. आई. के संभावित प्रयोगों से संसाधनों का आवंटन तथा प्रबंधन अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनेगा।

ए. आई. से प्रशासनिक स्तर पर कार्य प्रवाह का विश्लेषण तथा उससे सर्वोत्तम परिणाम आने की अनुकूलता भारत में विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने की संभावना को रेखांकित करता है।

पुलिस सुधार, असामाजिक तथा आपराधिक तत्वों की पहचान, गिरफ्तारी तथा दंड दिलवाने में भी ए. आई. का संभावित प्रयोग प्रभावकारी होगा। ए. आई. द्वारा संदिग्ध लोगों एवं गतिविधि की पहचान संभव होगी एवं संभावित फ्राड होने की पहले से ही पहचान की जा सकेगी, जिससे कि ऐसे अपराधों को रोकना संभव होगा। ए. आई. से डाटा की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने की किसी को कोई आशंका नहीं है।

ए. आई. का रक्षा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रयोग भारत में किया जाना अपेक्षित है। ए. आई. संचालित प्रणाली से उपकरणों के रखरखाव, प्रबंधन एवं उपयोग से उपकरणों तथा वाहनों का अधिकतम अनुकूलतम प्रयोग संभव होगा। संसाधन आवंटन तथा प्रबंधन में ए. आई. का प्रयोग रक्षा सेवाओं को अधिक प्रखर एवं सक्षम बनाने में उपयोगी होगा।

दिनेश कुमार
संयुक्त सचिव, और
एएम एवं सीवीओ



विकसित भारत 2047

“विकसित भारत 2047” भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य भारत को अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलना है। यह पहल आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय क्षेत्रों में लक्ष्यों की एक विस्तृत शृंखला की रूपरेखा तैयार करती है। वर्ष 2047, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होने के नाते, न केवल भारत की आजादी के 100 साल का प्रतीक है, बल्कि एक वैश्विक नेता और एक समृद्ध, समावेशी और स्थायी सामाजिक व्यवस्था के रूप में इसकी क्षमता का अनुभव करना भी है। इस योजना के प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं-

1. आर्थिक विकास

“विकसित भारत 2047” विजन का एक केंद्रीय स्तंभ आर्थिक परिवर्तन है। भारत-वर्ष 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सदस्य बनने की आशा रखता है और 30 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखता है। यह लक्ष्य नवीन विचारों को प्रोत्साहन देने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम बनाने के सिद्धांत पर केंद्रीकृत है। विनिर्माण, सेवा, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से विकास होने की उम्मीद है।

“मेक इन इंडिया” पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करके इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, यह दृष्टिकोण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए. आई.), स्वचालन और रोबोटिक्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उत्पादकता में संवर्द्धन करना चाहता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था सभी नागरिकों के लिए नौकरियों का सृजन, बेहतर वेतन और जीवन स्तर भी सुनिश्चित करेगी।

2. बुनियादी ढांचे का विकास

विकसित राष्ट्र बनने की दृष्टि से भारत का बुनियादी

ढांचा महत्वपूर्ण है। सरकार देश के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा ग्रिड और डिजिटल बुनियादी ढांचे शामिल हैं। निर्बाध कनेक्टिविटी आर्थिक क्षमता को खोलने और शहरी-ग्रामीण एकीकरण को बढ़ाने की कुंजी होगी। हाई-स्पीड रेल, मेट्रो नेटवर्क और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के विस्तार के साथ-साथ स्मार्ट शहरों के निर्माण से शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा और भीड़-भाड़ कम होगी। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की ऊर्जा जरूरतें टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरी हो सकें।

3. तकनीकी प्रगति

तकनीकी नवाचार में भारत का नेतृत्व एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में उसकी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। “डिजिटल इंडिया” पहल का उद्देश्य देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है ताकि देश की भावी प्रगति के लिए आधार तैयार किया जा सके। वर्ष 2047 तक, भारत खुद के ए. आई., ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्वयं को वैश्विक लीडर के रूप में देखता है।

औद्योगिकी प्रगति के अलावा, यह विजन यह सुनिश्चित करने के द्वारा डिजिटल विभाजन को पाटने पर भी केंद्रित है कि सभी नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक, किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट की पहुंच सुगमतापूर्वक हो। प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप में अपनाने से विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे नौकरियाँ पैदा होंगी और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में वृद्धि होगी।

4. शिक्षा एवं कौशल विकास

वर्ष 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य समग्र और बहु-विषयक शिक्षा पर जोर देने के साथ ही शिक्षा प्रदान करने के तरीके में बदलाव लाना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ-साथ आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिल सके।

इसके अलावा, कौशल विकास एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। भारत का लक्ष्य “स्किल इंडिया” जैसी पहल के जरिए अपने कार्यबल को भविष्य के लिए अत्याधुनिक कौशल से लैस करना है। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हैं।

5. स्थिरता और जलवायु कार्रवाई

“विकसित भारत 2047” विजन के तहत भारत का विकास-पथ दृढ़तापूर्वक स्थिरता में निहित है। देश स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2047 तक, भारत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप, शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने की योजना बना रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा में, इस परिवर्तन के केंद्र में होगा। इसके अतिरिक्त, भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वनीकरण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. सामाजिक विकास और समावेशिता

इसके दृष्टिगत सामाजिक प्रगति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक विकसित भारत यह सुनिश्चित

करेगा कि जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हो सकें। इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन और हाशिए पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण भी शामिल है। असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य वाले कार्यक्रम सामाजिक विकास का आधार बनेंगे।

7. भारत एक वैश्विक लीडर के रूप में

“विकसित भारत 2047” विजन भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास करता है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्षेत्र और उससे बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। एक विकसित राष्ट्र के रूप में, भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक प्रभावशाली राष्ट्र की भूमिका निभाएगा और जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान देगा।

अंत में, “विकसित भारत 2047” एक आकांक्षी रोडमैप है जो समग्र विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक ऐसे भविष्य की दृष्टि है जहां आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, सामाजिक समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता साथ-साथ चलते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों, सरकारी और निजी क्षेत्रों और नागरिकों के बीच आपसी सहयोग और सभी क्षेत्रों की उत्तरोत्तर प्रगति पर अथक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

गौरव अग्रवाल
संयुक्त सचिव एवं
सीवीओ (एमईएस और
बीआरओ)



जीवन में खेलों का महत्व

1. हमारे जीवन में खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि कहावत है- 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।' खेलों से हमारा शरीर न सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है, बल्कि हमारा मस्तिष्क भी इससे लाभान्वित होता है। खेल हमारे शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक एवं भावनात्मक विकास में सहयोग देता है। इसके अतिरिक्त भी खेलों के हमारे जीवन में अनेक उपयोग/लाभ हैं। खेल खेलने के दरमियान व्यक्ति निर्णय लेना सीखता है। वह विकट परिस्थितियों में भी लड़ना सीखता है, जीवन में हार का महत्व सीखता है, मेहनत करना सीखता है। खेलों के माध्यम से मनुष्य गिरकर उठना सीखता है, खेल भावना सीखता है, टीम में काम करना सीखता है। व्यक्ति खेलों के माध्यम से नेतृत्व कौशल सीखता है, अनुशासन सीखता है।
2. खेलों में नियमित रूप से भाग लेने से व्यक्ति के शरीर की माँसपेशियां मजबूत होती हैं एवं शरीर के प्रत्येक अंग को विकसित होने में मदद मिलती है। खेलते समय व्यक्ति के शरीर में डोपामीन, एनडोर्फिन हार्मोन का उत्पादन होता है जो शरीर को आनन्द देता है, जो उसके लिए लाभदायक है एवं उस व्यक्ति की सोच को सकारात्मकता प्रदान करता है। इससे अवसाद, पार्किंसन जैसी बीमारियां दूर होती हैं। यूँ कहे कि खेलों से व्यक्तित्व में निखार आता है।
3. खेल पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो खेलों को बचपन से ही अपनाना चाहिए एवं अपने जीवन की नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। अपितु खेलों को किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है- जो मध्यम आयु या वृद्धावस्था के लोग हैं, वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार और डॉक्टरी परामर्श के बाद कोई भी खेल अपना सकते हैं। यह उनके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा।
5. खेल की प्राचीन काल से ही लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाभारत काल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का वर्णन है। उनमें घुड़सवारी, तीरंदाजी, रथों की दौड़, तलवारबाजी, कुश्ती इत्यादि प्रमुख खेल थे। यूनान (ग्रीस) में ओलंपिक खेल प्राचीन काल में ही प्रचलित थे जहां देश विदेश से खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते थे। आधुनिक युग में खेलों का प्रतिरूप बदल गया है। अब फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक, टेनिस, बास्केटबॉल जैसे खेल ज्यादा प्रचलित हैं।
6. आज के युग में खेलों को अपनी आजीविका बनाया जा सकता है। कोई पेशेवर खिलाड़ी बन सकता है तो कोई कोच। अनेक खेलों के संचालन के लिए कई संगठन हैं, उनको खेलने के लिए विशालकाय इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। इनको चलाने के लिए कई उद्योग, विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है।
7. आधुनिकीकरण के कारण अब खेलों में भी नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है। आजकल खेलों व टूर्नामेंटों में भारी निवेश होने लगा है। अलग-अलग देशों में इनके लिए अलग मंत्रालय बन गए हैं, अलग-अलग संगठन बन गए हैं। यह खेल व टूर्नामेंट इन देशों व शहरों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं ये ढेर सारा निवेश व नौकरियां ले कर आते हैं।
8. अब तो इन खेलों का संचालन एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। टेलीविजन के सीधे प्रसारण से इन मैचों से करोड़ों लोग अपना मनोरंजन करते हैं। इनमें अरबों-खरबों रुपए का निवेश होता है। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, समाचार आदि जगह ये प्रचलित हैं। लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेल जगत में कार्यरत हैं। खेल हमारे समाज व अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं।
9. जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। यह हमें न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी मददगार भी है। यह हमें कई रोगों से मुक्त करता है। खेलों से हमारे समाज व अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सभी को खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।

संजय कुमार
संयुक्त सचिव एवं अपर
वित्तीय सलाहकार
(एस के)



भारत सरकार की राजभाषा नीति

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्नप्रकार है:

प्रमुख प्रावधान

1. संघ की राजभाषा
- 1.1 संघ की राजभाषा हिन्दी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) का प्रयोग होगा।
- 1.2 संघ के कार्यों में, संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन इस अवधि में राष्ट्रपति संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।
2. राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।
3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी में जारी करना चाहिए।
4. इन दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने का उत्तरदायित्व इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों का होगा।
5. राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 2 च, छ और ज के अनुसार पूरे देश को तीन क्षेत्रों अर्थात् क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

क्षेत्र 'क' में: बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली शामिल हैं।

क्षेत्र 'ख' में: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

क्षेत्र 'ग' में: क्षेत्र क और ख को छोड़कर शेष सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र अर्थात् पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, असम, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, पांडिचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं।

6. प्राधिकृत भाषाएं: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की 22 प्राधिकृत भाषाएं हैं जो निम्नानुसार हैं:-

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. असमिया | 2. बांग्ला | 3. बोडो |
| 4. डोगरी | 5. गुजराती | 6. हिन्दी |
| 7. कन्नड़ | 8. कश्मीरी | 9. काँकणी |
| 10. मैथिली | 11. मलयालम | 12. मणिपुरी |
| 13. मराठी | 14. नेपाली | 15. उड़िया |
| 16. पंजाबी | 17. संस्कृत | 18. संथाली |
| 19. सिंधी | 20. तमिल | 21. तेलुगु |
| 22. उर्दू | | |

7. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित सभी कागजात अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए।
 - i. परिपत्र (Circulars)
 - ii. संकल्प (Resolutions)
 - iii. सामान्य आदेश (General orders)
 - iv. नियम (Rules)
 - v. अधिसूचना (Notification)
 - vi. प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन (Administrative and other Reports)
 - vii. प्रेस विज्ञप्ति (Press Communiques)

- viii. संसद में रखे जाने वाले प्रतिवेदन एवं राजकीय कागजपत्र (Administrative and other Reports and official papers laid before Parliament)
- ix. सविदा (Contract)
- x. करार (Agreement)
- xi. अनुज्ञप्तियाँ (Licenses)
- xii. अनुज्ञापत्र (Permits)
- xiii. निविदा (Tender notices)
- xiv. निविदा प्रारूप (Tender Forms)
8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार हिन्दी या अंग्रेजी में होगा। अधिसूचित कार्यालयों को संबोधित पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद देना जरूरी नहीं है।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 4**
9. 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 4 (ग)**
10. हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाने अपेक्षित हैं। इन पत्रों में हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए पत्र भी शामिल हैं।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5**
11. अधिनियम की धारा 3(3) में सूचित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है, निष्पादित किया गया है या जारी किया गया है।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 6**
12. कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिन्दी में या अंग्रेजी में कर सकता है।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 7 (1)**
13. कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन जब भी हिन्दी में किया जाए या उसमें हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाएं तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 7 (2)**
14. कर्मचारी फाइलों पर हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पण कर सकते हैं। उनसे दूसरी भाषा में इसका अनुवाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 8 (1)**
15. केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, किसी हिन्दी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 8 (2)**
16. कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं इसका निश्चय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 8 (3)**
17. किसी भी कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के आदेश दिए जाते हैं।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 8 (4)**
18. हिन्दी भाषा में प्रवीणता प्राप्त कोई भी कर्मचारी जिसने मैट्रिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम से पास की हो अथवा स्नातक स्तर पर हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो अथवा वह स्वयं घोषणा कर दे कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उस कर्मचारी को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा।
- राजभाषा नियम, 1976 का नियम 9**
19. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान: जिस अधिकारी/कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो अथवा केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा वह घोषणा कर दे कि उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा।

राजभाषा नियम, 1976 का नियम 10

20. जब किसी भी कार्यालय की कुल संख्या के 80 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब उस कार्यालय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

राजभाषा नियम, 1976 का नियम 10 (4)

21. राजभाषा नियम (11) के अनुसार
- सभी मैनुअल, संहिता और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में मुद्रित, साइक्लोस्टाइल या प्रकाशित किए जाएं।
 - केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली पंजियों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों।
 - केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मर्दें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी जाएं व मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएं।

22. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है, और साथ ही वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के उपाय करे।

राजभाषा नियम, 1976 का नियम 12 (1)

23. केन्द्रीय सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के उपबंधों के पूरी तरह से अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। कार्यालय के


प्रशासनिक प्रधान का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे।

राजभाषा नियम, 1976 का नियम 12 (1)

24. संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। कार्यालयों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करना जरूरी है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रमुख निदेश

1. राजभाषा नियम 1976 के अनुसार सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की है। विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी राजभाषा संबंधी आदेशों का निष्ठा से अनुपालन करना चाहिए। प्रशासनिक प्रधान द्वारा अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए राजभाषा अधिकारी का सहयोग लिया जा सकता है।
2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। इसके उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
3. वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें, जिससे कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा तथा राजभाषा नीति के अनुपालन को गति मिले।



काले खां
सहायक निदेशक,
राजभाषा



सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग, समस्या और समाधान

प्रायः यह देखा गया है कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग करते समय कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे कहीं न कहीं राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य भी प्रभावित होता है। प्रस्तुत लेख में उन आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों तथा उनके संभावित समाधान करने की दिशा में कुछ सुझाव निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं:

वर्ष 1947 में आजादी मिलने के पश्चात् भारत में अपना संविधान लागू हुआ तथा यह तय किया गया कि सरकारी कामकाज में संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तथापि, यह भी निर्णय लिया गया था कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किया जाता रहेगा जब तक कि हिंदी में काम करने की सभी सुविधाएं विकसित न हो जाएं तथा देश के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिंदी में कार्य करने के लिए निपुण न हो जाएं।

जिस भावना के साथ राजभाषा अधिनियम 1963 को बनाया गया था उसके लक्ष्यों को अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है। यह तथ्य सराहनीय है कि मीडिया जगत में हिंदी का प्रचार-प्रसार पहले की अपेक्षा बढ़ा है, लेकिन ऐसा केवल उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण की वजह से ही हुआ है न कि उनके हिंदी प्रेम की वजह से।

जहां तक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग का सवाल है, इसको मूलतः वही अधिकारी एवं कर्मचारी प्रयोग करते हैं जिनकी शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई है, जो हिंदी बहुल क्षेत्रों से आते हैं या उनको आर्बिट्ररी कार्य ऐसा है जिसमें वह हिंदी भाषा में काम करने में सहज महसूस करते हैं। अन्यथा, बहुतायत में ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, जोकि अपने को अधिक पढ़ा-लिखा साबित करने के चक्कर में अपना सरकारी कामकाज अंग्रेजी में करते हैं।

मैंने निजी तौर पर यह देखा है कि किसी मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग संबंधी जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे सही स्थिति प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि आंकड़े देने वाले अनुभाग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जिससे वास्तविक प्रगति का पता नहीं चल पाता है। **सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में जो समस्याएं देखने में आती हैं। उनमें से कुछ निम्न अनुसार हैं-**

1. हिंदी में काम करने की सुविधा:-

सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले साधनों में एकरूपता न होना भी हिंदी के प्रयोग में बाध्यकारी है। ऐसा देखा गया है कि अलग-अलग मंत्रालय एवं कार्यालय भिन्न-भिन्न सॉफ्टवेयर एवं फॉन्ट्स का प्रयोग करते हैं जो कि नई समस्या खड़ी कर देता है।

2. शब्दों का सरलीकरण उपलब्ध न होना:-

कई मंत्रालय एवं कार्यालय ऐसे होते हैं जहां प्रयोग किए जाने वाले शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुत कठिन प्रतीत होता है। अतः ऐसे कठिन शब्दों का सरलीकरण एवं मानक स्वरूप सुनिश्चित होना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो उसे मूल रूप में ही अपनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।



समाधान:

1. उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना:-

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है तो सर्वप्रथम इसकी शुरूआत उच्च अधिकारियों की ओर से होनी चाहिए। चाहे वे छोटे-छोटे वाक्यों से ही शुरूआत करें इससे कनिष्ठ अधिकारियों को निश्चित तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनकी झिझक भी कम होगी।

2. अनुभागों को चिह्नित करना:-

ऐसे अनुभागों को चिह्नित किया जाए जहां पर हिंदी में कामकाज की शुरूआत आसानी से की जा सके तथा किसी उच्च अधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उस अनुभाग द्वारा हिंदी में कार्य करने से असुविधा न हो।



3. जांच बिन्दु निर्धारित करना:-

विभिन्न स्तरों पर राजभाषा के प्रयोग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिन्दु निर्धारित किए जाने चाहिए। पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले, केन्द्रीय रजिस्ट्री में तैनात स्टाफ को इस संबंध में सजग किया जाए।

4. अनुभागों की निरंतर निगरानी:-

हिंदी अनुभाग द्वारा समय-समय पर हिंदी के प्रयोग संबंधी वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़ों की गहनता से जांच की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक प्रगति का सही आकलन हो सके।

5. संसाधन उपलब्ध कराना:-

राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों में एक ही मानक सॉफ्टवेयर एवं फॉन्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाएं वे द्विभाषी कार्य करने की सुविधायुक्त हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाए।

6. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना:-

हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहन दिया जाए जैसे माह में सर्वाधिक अच्छा काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नोटिस बोर्ड पर नाम एवं उसकी फोटो प्रदर्शित करना। हिंदी अनुभाग द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों में उन्हें अपने साथ ले जाना तथा उन अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशालाएं आयोजित कराना आदि।

उपर्युक्त प्रयासों से काफी हद तक राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।



रक्षा मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किए जा रहे विशिष्ट प्रयासों का विवरण

भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जारी हैं:

1. रक्षा मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन:

- रक्षा मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करके हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों की वेतन-पर्चियों का द्विभाषीकरण किया गया।
- रक्षा मंत्रालय में सभी मानक प्रपत्रों का द्विभाषीकरण किया गया और इसे ई-ऑफिस पर भी अपलोड किया गया।

2. नामपट्ट एवं पट्टिकाएं:

- कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु साउथ ब्लॉक और सेना भवन के प्रमुख स्थानों पर प्रेरणादायक हिंदी वाक्यों की पट्टिकाएं लगाई गईं।

3. हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- दिव्यांग कर्मचारियों (नेत्रहीन) को ऑर्बिट मशीन टाइपिंग टूल के साथ विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप, संबंधित कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

- रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग, अनुवाद और हिंदी में कामकाज के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- कंप्यूटर और अन्य डिजिटल माध्यमों पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

4. राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ:

- प्रत्येक विभाग और इकाई में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ स्थापित की गई हैं।
- त्रैमासिक बैठकें आयोजित कर हिंदी के उपयोग की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

5. प्रेरणा और प्रोत्साहन:

- हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- उत्कृष्ट हिंदी लेखन कार्य के लिए कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाता है।

6. हिंदी पखवाड़ा और अन्य कार्यक्रम:

- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा हीरक जयंती वर्ष' के अवसर पर दिनांक 14-15 सितंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय ने सक्रिय रूप से भाग लिया जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्टॉल भी लगाया गया।
- रक्षा मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े के सफल आयोजन के साथ ही इसके शुभारंभ और समापन समारोह का भी कुशल संचालन किया गया जिसमें आयोजित प्रतियोगिताओं में संयुक्त सचिव एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

- हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें विशेष सम्मान और पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।
- वर्ष के दौरान आयोजित की गई विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से कार्मिकों को राजभाषा नीति के उचित अनुपालन हेतु जागरूक किया गया जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय में हिंदी कार्य की प्रतिशतता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- रक्षा मंत्रालय में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं चाहे वह प्रशासनिक कामकाज हो या सैनिकों का प्रशिक्षण, हिंदी को सशक्त और सरल बनाया जा रहा है।

7. राजभाषा गृह पत्रिका:

- रक्षा मंत्रालय की पहली हिन्दी गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' का प्रकाशन किया गया।

8. अनुवाद और प्रकाशन कार्य:

- दूरभाष निर्देशिका (टेलीफोन डायरेक्टरी) का द्विभाषीकरण किया गया।
- रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, रिपोर्ट्स और निर्देश हिंदी में अनुवादित किए जाते हैं जिसे शून्य आउटसोर्सिंग सहित इन-हाउस ही किया जाता है।

9. तकनीकी सहायता और सॉफ्टवेयर का विकास:

- वेबसाइट सहित सभी सोशल मीडिया हैंडल जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, पॉडकास्ट इत्यादि को द्विभाषी रूप से प्रयोग में लाया जाता है।

- हिंदी में कामकाज को सुगम बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय तकनीकी सॉफ्टवेयर और उपकरणों की सहायता भी ले रहा है।
- हिंदी में संवाद और संचार के लिए ई-मेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

10. निगरानी और मूल्यांकन:

- रक्षा विभाग और सैन्य कार्य विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी संसदीय समिति निरीक्षणों का सफलतापूर्वक समापन किया गया जिनमें समिति के माननीय सदस्यों के द्वारा रक्षा मंत्रालय में किए जा रहे राजभाषा प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यों की सराहना की गई।
- राजभाषा कार्यों की उचित निगरानी एवं सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु राजभाषायी निरीक्षण किए गए।
- हर कार्यालय में हिंदी में कार्य की प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाता है।

इन प्रयासों के माध्यम से रक्षा मंत्रालय राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और इसे सरकारी कामकाज की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्रालय, हिंदी के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।



हिंदी पखवाड़ा, 2024, रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), पुरस्कार वितरण समारोह



अपर सचिव महोदया द्वारा दीप प्रज्ज्वलन



संयुक्त सचिव महोदय द्वारा दीप प्रज्ज्वलन





संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण



माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण



माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति की निरीक्षण बैठक



रक्षा मंत्रालय में स्वच्छता अभियान



